

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोरबा जिले में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र

1. (*क्र. 1044) श्री बोधराम कंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में वर्तमान में कितने और कौन-कौन से विद्युत संयंत्रों की निर्माण कार्य जारी है और कितने विद्युत संयंत्र प्रस्तावित हैं ? (ख) प्रत्येक की उत्पादन क्षमता, लागत एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्तमान में कोरबा जिले में निर्माणाधीन 09 संयंत्रों (परियोजनाओं) तथा प्रस्तावित 08 संयंत्रों (परियोजनाओं) की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता, स्थान एवं अनुमानित लागत की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

प्रदेश में संचालित बाल श्रमिक विद्यालय

2. (*क्र. 450) श्री संतोष बाफना : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं ? (ख) बाल श्रमिक विद्यालयों के लिये शासन द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश में कुल 08 जिलों में बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं. जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्कूलों की संख्या (3)
1.	कोरबा	15
2.	बिलासपुर	29
3.	राजनांदगांव	22
4.	सरगुजा	24
5.	रायपुर	103
6.	दुर्ग	40
7.	रायगढ़	20
8.	जांजगीर-चांपा	08
कुल		261

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रति बालक 1200/- रुपये की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है.

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में मवेशी खरीदी हेतु जारी निविदा

3. (*क्र. 1742) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला में जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक बी.पी.एल. परिवार के कुल कितने सदस्यों को मवेशी वितरण की गई ? (ख) क्या मवेशी खरीदी हेतु निविदा जारी की गई ? यदि हां, तो जशपुर एवं रायगढ़ जिला में मवेशी खरीदी हेतु कब-कब निविदा जारी की गई ? (ग) क्या जशपुर जिला में परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा भूमि सुधार हेतु स्वीकृत केन्द्रीय सहायता राशि को बैलजोड़ी वितरण हेतु व्यय करने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि इस मद से व्यय की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कुल 384 बी.पी.एल. परिवारों को मवेशी वितरण किया गया है. (ख) जी हां. विभाग द्वारा मवेशी खरीदी हेतु संचालनालय स्तर पर निविदा जारी की गयी. जशपुर एवं रायगढ़ जिला में मवेशी खरीदी हेतु पृथक से निविदा जारी नहीं की गयी. (ग) जी हां. कुल राशि रु. 45,85,487.00 उक्त मद से व्यय की गयी है.

प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण

4. (*क्र. 273) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ? (ख) वर्तमान में किस वर्ष तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है ? शेष कब तक नियमित किये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-1/2007/1-3, दिनांक 05 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 31-12-1988 के पूर्व नियुक्त एवं दिनांक 01-01-1989 से दिनांक 31-12-1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उक्त परिपत्र की कंडिका-2 में नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड उल्लिखित हैं. परिपत्र की छायाप्रति † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वर्तमान में दिनांक 31-12-1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है. शेष के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

रायगढ़ जिले में खनिज पदार्थों से प्राप्त रायल्टी

5. (*क्र. 918) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ? (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक क्रेशर उद्योग हेतु कितने पत्थर खदान लीज में दिए गए ? नाम सहित, पतावार जानकारी देवें ? कितनी राशि की रायल्टी प्राप्त हुई ? (ग) कितने खदान मालिक से रायल्टी अप्राप्त है ? उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में खनिज कोयला, चूनापत्थर, क्वार्टज/क्वार्टजाइट, डोलोमाइट तथा फायरक्ले उपलब्ध है. रायगढ़ जिले में फ्लोराइट की भी अल्प मात्रा में उपस्थिति चिन्हित की गई है. जिले में गौण खनिज यथा चूनापत्थर, पत्थर, ग्रेनाइट, फ्लेगस्टोन, मुरुम, रेत भी उपलब्ध है. (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक क्रेशर उद्योग हेतु 09 पत्थर खदान लीज में दिए गये हैं. लीजधारियों के नाम व पता तथा पत्थर खदानों से प्राप्त रायल्टी की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) अग्रिम रायल्टी जमा कर लीजधारियों द्वारा खनिज का परिवहन किया जाता है अतः किसी लीजधारी के ऊपर कोई रायल्टी बकाया नहीं है. रायल्टी बकाया नहीं होने से खदान मालिकों के ऊपर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निःशुल्क गाय एवं बैल वितरण से लाभान्वित हितग्राही

6. (*क्र. 408) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गाय, बैल, बकरा वितरण की योजना अंतर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र में 2009 से 31-01-2011 तक कुल कितनी गाय एवं बैल का वितरण किया गया है ? वर्षवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या देवें ? (ख) निःशुल्क वितरित गाय, बैल, बकरे में से कितने जीवित तथा कितने मृत हो चुके हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गाय, बैल, बकरा वितरण की योजनांतर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र में 2009 से 31-01-2011 तक निःशुल्क गाय, बैल, बकरा का वितरण नहीं किया गया. (ख) निरंक.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल में हेण्डपंप खनन की स्थिति

7. (*क्र. 1975) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत किन-किन गांवों में हेण्डपंप खनन की स्वीकृति हुई है, एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने-कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण का कारण गांव के नाम सहित जानकारी दें।

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत स्वीकृत हेण्डपंप खनन कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार. प्रस्तावित हेण्डपंपों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में दर्शित अनुसार. कार्यों की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार. कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार. अपूर्ण कार्य का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार.

विभाग द्वारा बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

8. (*क्र. 707) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा एवं रायपुर जिला के बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2010 तक अनु. जाति विकास योजना के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? कार्यों के अपूर्ण होने का क्या-क्या कारण है ? उक्त वर्षवार कार्यों के नाम विकासखंडवार ग्रामों के नाम सहित बतावें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” के कॉलम 6, 7 एवं 8 पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रदाय

9. (*क्र. 993) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में विकासखण्डवार, वर्षवार विद्यार्थियों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति अप्राप्त है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) उक्त पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009-10 के केवल उ.मा. शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग 532 विद्यार्थियों को रुपये 9,61,239/- की छात्रवृत्ति अप्राप्त है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि रुपयों में)

वर्ष	छात्रवृत्ति का प्रकार	वर्ग	विकासखंड का नाम	अप्राप्त छात्रवृत्ति का संख्या	विवरण राशि
2009-10	पो. मै. छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति	पामगढ़	247	4,78,750/-
			अकलतरा	16	25,600/-
			बलौदा	203	3,71,840/-
			बम्हनीडीह	42	43,449/-
			मालखरौदा	20	33,870/-
			जैजैपुर	04	7,730/-
योग			532	9,61,239/-	

वर्ष 2010-11 की छात्रवृत्ति के वितरण की कार्यवाही जारी है. (ख) यथाशीघ्र, छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

रायगढ़ जिला में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

10. (*क्र. 298) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कहां-कहां कितनी क्षमता वाले विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. किन-किन के साथ किया गया है और किनके द्वारा लगाये जा रहे हैं ? कितने विद्युत संयंत्रों को स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ? (ख) कितने संयंत्रों को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति अप्राप्त है, किन्तु निर्माण कार्य जारी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) निवेशक के साथ सम्पादित एम.ओ.यू. में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना स्थल का लेख नहीं रहता. लेकिन निवेशक द्वारा परियोजना स्थल का चयन कर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर चयनित स्थल पर परियोजना की स्थापना करने की प्रक्रिया है. वर्तमान में रायगढ़ जिले में प्रस्तावित 21 ताप विद्युत परियोजनाओं की क्षमता, पर्यावरण अनुमति की अद्यतन स्थिति † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) वर्तमान में रायगढ़ जिले में पर्यावरण अनुमति के बिना किसी भी ताप विद्युत परियोजना का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है.

सरगुजा जिले में पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति

11. (*क्र. 1096) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सरगुजा जिले में पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ? पावर प्लांट के द्वारा कितनी भूमि की मांग शासन से की गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न "क" अनुसार उदयपुर विकासखण्ड में कृषकों की निजी भूमि की भी खरीदी की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में चार ताप विद्युत प्लांट यथा इफको पावर प्लांट द्वारा ग्राम-सलका तहसील प्रेमनगर एवं अदानी पावर प्लांट द्वारा ग्राम परसा तहसील उदयपुर तथा पॉवर फाईनेन्स कार्पोरेशन द्वारा अल्ट्रामेगा परियोजना उदयपुर तहसील के ग्राम खम्हरिया व सलका आदि के समीप पावर प्लांट एवं भैयाथान पॉवर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इफको पावर प्लांट हेतु कुल 752.48 हेक्टेयर भूमि एवं अदानी पावर प्लांट हेतु कुल 178.046 हेक्टेयर भूमि, भैयाथान पॉवर प्लांट हेतु 610.54 हेक्टेयर तथा अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट हेतु कुल 2,876.30 हेक्टेयर की मांग शासन से की गयी है. (ख) जी हां. उदयपुर विकासखण्ड के कृषकों की निजी भूमि की खरीदी पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्तावित है. वर्तमान में उदयपुर विकासखण्ड के कृषकों की निजी भूमि की खरीदी संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन किसी कंपनी द्वारा नहीं करायी गई है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को प्रदत्त स्पिंकलर

12. (*क्र. 1970) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदागांव जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 18-02-2011 की स्थिति तक खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने किसानों को कितने-कितने मूल्य के स्पिंकलर, कितने-कितने अनुदान पर प्रदान किए गए हैं ? प्रदान किए गए स्पिंकलर की कंपनी, संख्या, वास्तविक मूल्य एवं अनुदान राशिवार जानकारी प्रदान करें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : प्रश्नाधीन अवधि में कुल 176 किसानों को रु. 30,88,384 मूल्य के स्पिंकलर सेट वितरित कर रु. 19,36,252 अनुदान प्रदाय किये गये हैं. प्रदाय किये गये स्पिंकलर सेट की कंपनीवार संख्या, वास्तविक मूल्य एवं अनुदान राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत तथा रिक्त पद

13. (*क्र. 1812) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय कार्यरत हैं ? इनमें चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय में 18 फरवरी, 2011 की स्थिति में पूर्णकालिक चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 208 पशु चिकित्सालय एवं 734 पशु औषधालय स्वीकृत हैं। इन 208 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (चिकित्सक) के 229 पद तथा 734 पशु औषधालयों में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 734 पद स्वीकृत हैं, इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 192 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं 565 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कार्यरत हैं तथा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 37 पद एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 169 पद रिक्त हैं। (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश के 34 पशु चिकित्सालय एवं 169 पशु औषधालय में 18 फरवरी, 2011 की स्थिति में पूर्णकालिक चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं।

लम्बित कृषि पम्प कनेक्शन के विस्तार कार्य की पूर्णता संबंधी

14. (*क्र. 1917) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से 31 जनवरी, 2011 तक छ.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ के निर्माण संभाग, रायगढ़ (एस.टी.आर.ई.) में कितने कृषि पम्पों के विद्युतीकरण हेतु विस्तार कार्य पूर्ण किये गये और कितने विस्तार कार्य लम्बित हैं ? (ख) लम्बित होने के क्या कारण हैं तथा कार्य पूर्णता की सम्भावित तिथि क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से 31 जनवरी, 2011 तक निर्माण संभाग (एस.टी.आर.ई.) रायगढ़ द्वारा कुल 7615 कृषि पम्पों के विद्युत विस्तार कार्य पूर्ण किये गये एवं 1223 पम्पों के विद्युत विस्तार के कार्य लंबित हैं। (ख) लंबित पम्प कनेक्शन हेतु संख्यावार कारण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। उक्त पम्पों के कार्य जून 2011 तक पूर्ण करने का प्रयास है।

दवाई/उपकरण की खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

15. (*क्र. 1983) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में विभाग द्वारा कौन-कौन से उपकरण/दवाईयां कितनी-कितनी लागत की खरीदी गई ? वर्षवार बतावें ? (ख) क्या खरीदी में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जांजगीर-जिले के उप संचालक कृषि द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में पामगढ़ विकासखण्ड में कोई कृषि यंत्र/पौध संरक्षण दवाईयां क्रय नहीं की गईं। (ख) प्रश्नांश “क” परिपेक्ष्य में निरंक है।

बाल्को द्वारा बाक्सार्ड का उत्खनन

16. (*क्र. 1876) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाल्को कोरबा द्वारा राज्य में कहां-कहां बाक्सार्ड की खदानें कितने क्षेत्र में कब से कब तक के लिए धारित की जा रही हैं ? खनिपट्टा किस नाम से है ? (ख) बाल्को द्वारा खदानवार वित्तीय वर्षवार 2004-05 से 2010-11 के माह जनवरी, 2011 तक कुल कितना-कितना बाक्सार्ड उत्खनन कर, कहां-कहां भेजा गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य में बाल्को कोरबा द्वारा धारित खनिपट्टों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। खनिपट्टा मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा के नाम से है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है।

बसना विकासखण्ड अंतर्गत चयनित निर्मल ग्राम

17. (*क्र. 1937) **श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल कितने ग्रामों का निर्मल ग्राम हेतु चयन किया गया ? नाम सहित बतायें ? (ख) उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितने शौचालय निर्माण की स्वीकृति हुई ? ग्रामवार बतावें ? (ग) 17-02-2011 की स्थिति में कितने शौचालय निर्माण हुये ? क्या यह सत्य है कि उक्त संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 01 ग्राम गढ़फुलझर निर्मल ग्राम हेतु भारत शासन द्वारा चयनित किया गया. वर्ष 2010-11 हेतु जानकारी निरंक है. (ख) उक्त कार्य हेतु बसना विकासखण्ड के ग्राम गढ़फुलझर हेतु वर्ष 2009-10 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत कुल राशि रु. 4,30,510.00 स्वीकृत की गई तथा 386 बी.पी.एल. शौचालय, 04 शाला शौचालय, 01 आंगनवाड़ी शौचालय स्वीकृत हुए. (ग) 17-02-2011 की स्थिति में उत्तर “ख” में स्वीकृत समस्त शौचालय निर्माण पूर्ण है. उक्त शौचालय निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता.

प्रदेश के राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत

18. (*क्र. 1787) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा क्या है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ख) उक्त समयावधि में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत कम है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ग) प्रश्नांक “क” की समयावधि में पूंजीगत व्यय कितना हुआ ? वर्षवार बतायें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	राजकोषीय घाटा	(राशि रु. करोड़)
		राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2008-09 (वास्तविक)	1026.66	1.10
2009-10 (वास्तविक)	1759.01	1.60
2010-11 (बजट अनुमान)	3180.03	2.45

(ग) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	(राशि रु. करोड़)
	पूंजीगत व्यय
2008-09 (वास्तविक)	2940.15
2009-10 (वास्तविक)	2744.92
2010-11 (बजट अनुमान)	4067.70

विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में प्रदत्त कृषि पंप कनेक्शन एवं लंबित आवेदन

19. (*क्र. 858) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में वर्ष 2008-09 से 2011 में दिनांक 31-01-2011 तक कुल कितने कृषि पंप कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं ? संबंधित कृषकों के विद्युत लाईन विस्तार हेतु कौन-कौन सी तिथि को कार्य आदेश जारी किए गए थे ? (ख) कार्य आदेश पश्चात् कितने कृषकों के पंप तक विद्युत लाईन का विस्तार कार्य लंबित है ? कब तक पूर्ण किए जावेंगे ? (ग) दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में कृषि पंप विद्युत कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित रहने का कारण बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में वर्ष 2008-09 से 2011 में दिनांक 31-1-2011 तक कुल 130 कृषि पम्प कनेक्शन प्रदाय किए गये. उक्त 130 कृषकों की सूची एवं कार्यादेश की तिथि † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) दिनांक 31-01-2011 तक कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात् 35 कृषि पम्पों के विद्युत लाईनों के विस्तार कार्य लंबित हैं, जिन्हें जून 2011 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है. (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि तक 22 कृषि पम्पों के लिये विद्युत लाईनों के विस्तार कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, परन्तु संबंधित कृषकों द्वारा अनिवार्य टेस्ट रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण उन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये हैं तथा दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में कृषि पम्प कनेक्शन हेतु कुल 31 आवेदन संबंधी कृषकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के कारण लंबित है.

जिला दुर्ग में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या तथा बकाया राशि की वसूली

20. (*क्र. 1828) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में 31-12-2010 की स्थिति में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है ? औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू एवं कृषि की पृथक-पृथक संख्या दी जाए ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दिनांक को इन उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी बकाया राशि वसूली के लिए शेष थी ? (ग) बकाया वसूली हेतु कितने उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए तथा कितनों के द्वारा राशि जमा की गई तथा उनके कनेक्शन पुनः जोड़े गए ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में 31-12-2010 की स्थिति में कुल 5,39,541 विद्युत उपभोक्ता हैं। उक्त में से 4,129 औद्योगिक, 38,086 व्यावसायिक, 4,40,711 घरेलू, 53,596 कृषि एवं 3019 अन्य विद्युत उपभोक्ता हैं। (ख) दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से क्रमशः रु. 94.98 लाख, रु. 176.70 लाख, रु. 619.88 लाख एवं रु. 209.77 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। (ग) दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में 49,847 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि शेष होने के कारण काटे गये हैं, जिनमें से 16,342 उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा की गई तथा उनके कनेक्शन जोड़े गये।

आदिवासी परियोजना गरियाबंद अंतर्गत स्व सहायता एवं एन.जी.ओ. समूह को आवंटित कार्य

21. (*क्र. 1650) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी परियोजना गरियाबंद के अंतर्गत किन-किन स्व सहायता एवं एन.जी.ओ. समूह को कौन-कौन से कार्य और कितने लागत के वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं चालू वर्ष में दिये गये ? (ख) कंडिका “क” के स्व सहायता समूहों के चयन का मापदण्ड क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) स्व सहायता समूहों को प्रश्नाधीन अवधि में कोई कार्य नहीं दिया गया है, एन.जी.ओ. को दिये गये कार्य की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है। (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला सरगुजा में ए.डी.बी. द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र सह छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति

22. (*क्र. 1475) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सरगुजा में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र सह छात्रावास के निर्माण हेतु कितनी राशि कब स्वीकृत की गई ? (ख) प्रशिक्षण सह छात्रावास का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया ? किस एजेन्सी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है ? कितना व्यय हो चुका है ? (ग) क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला सरगुजा में कृषि विभाग को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रशिक्षण सह छात्रावास के लिए किसी प्रकार राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ख) एवं (ग) “क” के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डी.पी.सी के पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी

23. (*क्र. 1977) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन जिलों में डी.पी.सी. के पदों पर संविदा नियुक्ति दी गई ? (ख) कंडिका “क” की योजना में डी.पी.सी. के पदों पर योग्यता के क्या मानदण्ड हैं ? क्या इसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका “क” की योजना में डी.पी.सी. के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति के संबंध में जिला राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009-10 में जिला रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, जशपुर, कोरिया, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम, दंतेवाड़ा एवं वर्ष 2010-11 में जिला रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरिया, बीजापुर में नियुक्ति दी गई है। (ख) डी.पी.सी. के पदों पर योग्यता के मापदण्ड परिशिष्ट पर †† संलग्न है। मापदण्डों का पालन किया गया है। (ग) डी.पी.सी. के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति की शिकायत जिला राजनांदगांव में प्राप्त हुई थी, शिकायत की जांच कर शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है। जिला दुर्ग, रायपुर और बीजापुर में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत प्लांट लगाने हेतु प्रदत्त अनुमति

24. (*क्र. 538) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत किन-किन शासकीय कम्पनियों और निजी कम्पनियों को कितनी लागत से कितनी क्षमता के प्लांट कहां पर लगाने की अनुमति कब दी गई है ? (ख) उत्पादन कितनी समयसीमा में चालू होगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन योजना के तहत किसी भी शासकीय कम्पनी को अनुमति नहीं दी गई है. इस योजना के अंतर्गत दो निजी कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनापत्ति प्रदान की गई है. लागत, क्षमता, स्थान, अनुमति दिनांक की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) दोनों निजी इकाईयों को उत्पादन के लिये समय-सीमा 31 मार्च 2013 है.

जिला सरगुजा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निष्पादित कार्य एवं व्यय राशि

25. (*क्र. 1692) **श्री रामदेव राम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यान विभाग सरगुजा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सन् 2007 से मार्च 2010 तक शासन द्वारा कितनी स्वीकृति मिली ? किन-किन स्थानों में क्या-क्या काम कराए गए तथा किस-किस मद में राशि खर्च की गई ? पृथक-पृथक बतावें. (ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कितने बोरेवेल कराए गए और वर्तमान में स्थिति क्या है ? किसानों के नाम की सूची ग्रामवार बतायें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत वर्ष 2007-08 में राशि रु. 595.05 लाख वर्ष 2008-09 में राशि रु. 938.27 लाख तथा वर्ष 2009-10 में राशि रु. 835.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई. उक्त अवधि में वर्षवार, ग्रामवार, मदवार व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 में उल्लेखित हैं. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेख अनुसार प्रश्नावधि में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत कुल 591 बोरेवेल खनित कराये गये. स्थापित कराये गये 487 सफल बोरेवेलों से नियमित सिंचाई कार्य किया जा रहा है. लाभान्वित कृषकों की ग्रामवार एवं वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

अहिलारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नलकूप खनन हेतु कृषकों को प्रदत्त अनुदान

1. (क्र. 166) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिलारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितने किसानों को किन-किन योजनाओं के तहत नलकूप खनन हेतु शासन से कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया है ? (ख) कितने किसानों के प्रकरण विभागीय स्तर पर वर्तमान में लंबित है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में (26-02-2011 तक) किसान समृद्धि योजना एवं लघु सिंचाई (नलकूप) योजना के तहत नलकूप खनन हेतु निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया गया है :—

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित कृषक			
			खनन पर		पंप स्थापना पर	
			संख्या	अनुदान राशि (रु. में)	संख्या	अनुदान राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2009-10	किसान समृद्धि योजना	15	1,89,220	14	2,80,000
		लघु सिंचाई (नलकूप) योजना	1	8,830	1	15,000
2.	2010-11 (26-02-2011 तक)	किसान समृद्धि योजना	-	-	2	40,000
		लघु सिंचाई (नलकूप) योजना	1	6,770	1	13,864

(ख) वर्तमान में विभाग स्तर पर तीन प्रकरण लंबित है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में नलकूप खनन एवं पंप स्थापना हेतु प्रदत्त अनुदान

2. (क्र. 409) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कृषि विभाग द्वारा कितने नलकूप खनन एवं पंप स्थापना किया गया ? (ख) उक्त हितग्राहियों को खनन एवं पंप स्थापना हेतु कितना-कितना अनुदान दिया गया ? (ग) कितने नलकूप सफल हुये एवं कितने असफल रहे ? असफल नलकूप में कितना अनुदान दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में (दिनांक 25-02-2011 तक) निम्नानुसार नलकूप खनन एवं पंप स्थापित किये गये :—

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	नलकूप खनन	स्थापित पंप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2009-10	लघु सिंचाई (नलकूप) योजना	318	318
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	11	4
2.	2010-11 (25-02-2011 तक)	लघु सिंचाई (नलकूप) योजना	165	160
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	9	16
महायोग			503	498

(ख) खनन एवं पंप स्थापना हेतु निम्नानुसार अनुदान दिया गया :—

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	नलकूप खनन पर अनुदान (रु. में)	पंप स्थापना पर अनुदान (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2009-10	लघु सिंचाई (नलकूप) योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	38,22,000 4,40,000	55,35,585 1,20,000
2.	2010-11 (25-02-2011 तक)	लघु सिंचाई (नलकूप) योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	24,40,000 3,60,000	33,36,786 4,80,000
महायोग			70,62,000	94,72,371

(ग) खनित सभी 503 नलकूप सफल रहे. अतः असफल नलकूप निरंक एवं उन्हें दिया गया अनुदान निरंक है.

दरभा एवं जगदलपुर वि. खं. में स्वीकृत नल-जल योजनाएं

3. (क्र. 477) **श्री संतोष बाफना** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के दरभा व जगदलपुर विकासखण्ड में 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी नल-जल योजनाओं की स्वीकृति दी गई ? नाम एवं स्थान सहित बतावें. (ख) उल्लेखित नल-जल योजनाओं में से कौन-कौन सी नल-जल योजनायें पूर्ण हो गई तथा चालू हालत में हैं एवं कौन-कौन सी नल-जल योजनायें निर्माणाधीन हैं ? (ग) क्या कुछ नल-जल योजना बंद है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? स्थान सहित बतावें. बंद होने के क्या कारण हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009-10 में बस्तर जिले के दरभा एवं जगदलपुर विकासखण्ड में कोई भी नलजल योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है. वर्ष 2010-11 में केवल विकासखण्ड जगदलपुर के 02 आवर्धन नलजल प्रदाय योजना क्रमशः ग्राम-नगरनार एवं ग्राम-कस्तुरी की निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृति दी गयी है. (ख) उल्लेखित दोनों आवर्धन नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य, निविदा प्रक्रिया में है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) दरभा एवं जगदलपुर विकासखण्ड में बंद नलजल योजनाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जांजगीर-चांपा में “निर्मल ग्राम” हेतु चिन्हांकित ग्राम

4. (क्र. 539) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में किस-किस विकासखण्ड के, कौन-कौन से ग्रामों को “निर्मल ग्राम” के तहत चिन्हांकित किया गया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : विवरण †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में संचालित पशु चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु भवन व्यवस्था

5. (क्र. 994) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में कितने पशु चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं ? उक्त स्थानों पर स्वीकृत तथा कार्यरत पदों की जानकारी पृथक-पृथक केन्द्रवार देवें. (ख) जैजैपुर क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय एवं औषधालयों में कितने केन्द्र भवन विहीन हैं ? (ग) जैजैपुर क्षेत्र के चिकित्सालय एवं औषधालयों को सुविधायुक्त भवन कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखण्ड जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में 02 पशु चिकित्सालय एवं 04 पशु औषधालय संचालित हैं. उक्त स्थानों पर स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की पृथक-पृथक केन्द्रवार जानकारी निम्नानुसार है :—

पशु चिकित्सालय—जैजैपुर, विकासखण्ड-जैजैपुर

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	कार्यरत पद (4)
1.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	01	01
2.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	02	02
3.	पट्टीबंधक	01	-
4.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	01

पशु चिकित्सालय—बम्हनीडीह, विकासखण्ड-बम्हनीडीह

1.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	01	01
2.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	02	02
3.	पट्टीबंधक	01	01
4.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	-

पशु औषधालय—पेण्डी, विकासखण्ड-जैजैपुर

1.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	01	01
2.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	01

पशु औषधालय—ठठारी, विकासखण्ड-जैजैपुर

1.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	01	01
2.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	-

पशु औषधालय—बिरा, विकासखण्ड-बम्हनीडीह

1.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	01	01
2.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	-

पशु औषधालय—घोघरी, विकासखण्ड-मालखरौदा

1.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	01	01
2.	परिचारक	01	01
5.	स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार (आकस्मिक निधि)	01	01

(ख) एवं (ग) निरंक.

एकीकृत डेयरी विकास परियोजना का संचालन

6. (क्र. 1476) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, सरगुजा में कब से संचालित की जा रही है ? (ख) वर्तमान में यहां कितने लीटर दूध की आवक है ? (ग) संचालन के बाद से प्रतिवर्ष इस डेयरी परियोजना में कितना लाभ प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी दें।

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, सरगुजा में दिनांक 21-11-2007 से संचालित की जा रही है। (ख) वर्तमान में यहां औसतन प्रतिदिन 693 किलो दूध की आवक है। (ग) संचालन के बाद से वर्षवार लाभ-हानि की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	वर्ष	लाभ-हानि (रुपये)
1.	2007-08	26580 हानि
2.	2008-09	213327 लाभ
3.	2009-10	21130 लाभ
4.	2010-11 जनवरी अंत तक	98335 लाभ

विकासखण्ड सारंगढ़ में चूनापत्थर के उत्खनन हेतु प्रदत्त अनुमति

7. (क्र. 1588) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सारंगढ़ विकासखण्ड के टिमरलगा, गुड़ेली, लालाधुरवा एवं बरमकेला विकासखण्ड के साल्हेओना में क्या चूना पत्थर पाया गया है ? यदि हां, तो अनुमानित मात्रा कितनी है तथा उक्त पत्थर गुणवत्ता की किस श्रेणी में है ? (ख) क्या उक्त चूना पत्थर उत्खनन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने आवेदकों को चूना पत्थर उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई है ? स्वीकृति दिनांक एवं नाम सहित बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ विकासखण्ड के ग्राम टिमरलगा, गुड़ेली एवं लालाधुरवा के क्षेत्र में चूनापत्थर पाया गया है। बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम साल्हेओना में चूनापत्थर नहीं पाया गया है। ग्राम टिमरलगा, गुड़ेली एवं लालाधुरवा के कुछ क्षेत्रों में मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया था। इस कंपनी द्वारा प्रस्तुत पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इन ग्रामों में सतह से 14 से 17 मीटर की गहराई तक लगभग 540 लाख टन निम्न श्रेणी चूनापत्थर के भण्डार प्रमाणित हुए हैं। (ख) जी हां। ग्राम टिमरलगा, गुड़ेली एवं लालाधुरवा में खनिज चूनापत्थर के 04 खनिपट्टे एवं खनिज निम्न श्रेणी चूनापत्थर के 71 उत्खनिपट्टे स्वीकृत किया जाकर उत्खनन की अनुमति दी गई है। पट्टाधारियों के नाम एवं अन्य विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

राज्य में ऊर्जा का उत्पादन एवं विक्रय

8. (क्र. 1877) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में राज्य व राज्य से बाहर के विद्युत उत्पादन कर्ताओं से वर्षवार उत्पादन कर्तावार कुल कितनी-कितनी बिजली राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा, किस-किस दर में खरीद कर, किस-किस दर में, किसको-किसको बेची गई है ? (ख) उक्त उत्पादन कर्ताओं द्वारा उक्त अवधि में राज्य के बाहर कुल कितनी-कितनी बिजली, किस-किस दर में किसको-किसको बेची गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) में राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य में व राज्य के बाहर स्थित केन्द्र शासित विद्युतगृहों में प्रदेश के हिस्से के प्रति, प्रदेश की पावर उत्पादन कंपनी तथा राज्य में स्थित निजी विद्युत उत्पादन कर्ताओं से वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) में खरीदी गई बिजली एवं उसकी दर का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “अ” में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को तथा राज्य के बाहर की विभिन्न संस्थाओं एवं इकाईयों को विक्रीत की गई बिजली एवं उसकी दर का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “ब” में दर्शाया गया है। (ख) उक्त उत्पादन कर्ताओं (राज्य में एवं राज्य के बाहर स्थित केन्द्र शासित विद्युत गृहों एवं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को छोड़कर) द्वारा उक्त अवधि में राज्य के बाहर द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत एवं पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेची गई बिजली एवं उसकी दर का विवरण पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” में दर्शाया गया है।

बागबाहरा नगर में पेयजल व्यवस्था संबंधी

9. (*क्र. 1881) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागबाहरा नगर के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु कुल कितने पानी की आवश्यकता है ? (ख) वर्तमान में आवश्यकता के विरुद्ध कुल कितने प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था है ? (ग) बागबाहरा नगर के लिये पेयजल हेतु क्या जल आवर्धन योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बागबाहरा नगर में वर्तमान जनसंख्या हेतु 14 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है. (ख) वर्तमान में बागबाहरा नगर की वर्तमान आबादी हेतु आवश्यक पेयजल की मात्रा के विरुद्ध 44 प्रतिशत अधिक पेयजल की व्यवस्था है. (ग) जी नहीं. बागबाहरा नगर के लिये आवर्धन जल प्रदाय योजना बनाने हेतु नगर पंचायत बागबाहरा से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

विकासखण्ड लोरमी के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

10. (*क्र. 1916) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड लोरमी जिला बिलासपुर में किस-किस गांव में नल जल योजना का निर्माण हो चुका है ? (ख) प्रश्नांश (क) नलजल योजना में से कौन-कौन से गांव की योजना से 18 फरवरी, 2011 की स्थिति में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है एवं कौन-कौन सी नलजल योजना बंद है ? (ग) क्या बंद पड़ी नलजल योजना को शीघ्र ही प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक समय बतायें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) जी नहीं, उपरोक्त योजनाएं विभाग द्वारा पूर्ण किये जाने के बाद संचालन एवं संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई है. अतः योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है. विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है.

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में खराब मीटरों की बिलिंग तथा बदलाव संबंधी प्रावधान

11. (क्र. 1918) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ विद्युत वितरण संभाग क्रमांक-एक के अन्तर्गत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कितने घरेलु कनेक्शनों के मीटर बन्द या खराब हैं ? बन्द या खराब मीटरों की बिलिंग किन नियमों के तहत किया जा रहा है ? खराब मीटरों को बदलने का प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : रायगढ़ विद्युत वितरण संभाग क्रमांक-एक के अन्तर्गत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में दिनांक 15-02-2011 की स्थिति में 4202 घरेलु कनेक्शन के मीटर बन्द या खराब हैं. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 व सहपठित धारा 181 के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2007 में प्रावधानित शर्तों के अधीन उक्त बंद या खराब मीटरों की बिलिंग की जा रही है. जी हां.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान

12. (क्र. 1984) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2009 एवं 2010 में कितने कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया तथा कृषकों द्वारा कितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा की गई ? बैंकवार जानकारी बतावें ? (ख) कुल कितने कृषकों को बीमा क्षतिपूर्ति की कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने कृषकों का कुल कितना भुगतान किया जाना शेष है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत तहसील को इकाई मानकर फसल अधिसूचित किया जाता है, पामगढ़ तहसील में खरीफ वर्ष 2009 में 13196 तथा वर्ष 2010 में 13221 कृषकों द्वारा फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि क्रमशः

रु. 32,32,281 एवं रु. 26,32,923 जमा की गई. बैंकवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	तहसील	बैंक का नाम	वर्ष एवं मौसम	बीमित कृषक संख्या	किसान से प्राप्त प्रीमियम राशि रु. में	देय दावा रु. में	लाभान्वित कृषक संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	जांजगीर	पामगढ़	इलाहाबाद बैंक, रायपुर	खरीफ 2009	160	161765	नहीं	नहीं
2.			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बिलासपुर	खरीफ 2009	61	52519	नहीं	नहीं
3.			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जांजगीर	खरीफ 2009	92	81328	नहीं	नहीं
4.			जिला सहकारी बैंक, बिलासपुर	खरीफ 2009	12187	2369193	नहीं	नहीं
5.			पंजाब नेशनल बैंक, जांजगीर	खरीफ 2009	87	95303	नहीं	नहीं
6.			छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बिलासपुर	खरीफ 2009	140	65274	नहीं	नहीं
7.			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जांजगीर	खरीफ 2009	469	406899	नहीं	नहीं
योग					13196	3232281		
8.			इलाहाबाद बैंक, रायपुर	खरीफ 2010	262	197345	नहीं	नहीं
9.			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बिलासपुर	खरीफ 2010	234	220248	नहीं	नहीं
10.			जिला सहकारी बैंक, बिलासपुर	खरीफ 2010	12565	2103204	नहीं	नहीं
11.			छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बिलासपुर	खरीफ 2010	82	51625	नहीं	नहीं
12.			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जांजगीर	खरीफ 2010	78	60501	नहीं	नहीं
योग					13221	2632923		

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों के लिये अधिसूचित तहसील का वास्तविक उपज निर्धारित उपज से कम होने की स्थिति में दावा देय होता है. खरीफ मौसम वर्ष 2009 एवं 2010 में पामगढ़ तहसील में अधिसूचित फसल धान सिंचित/असिंचित में कोई दावा देय नहीं बनता इसलिये दावा भुगतान एवं भुगतान हेतु शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्रों की जानकारी

1. (क्र. 566) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी क्षमता के कितनी लागत से, कितने विद्युत उपकेन्द्र, कहां-कहां पर पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण किये गये हैं ? (ख) कितने निर्माणाधीन हैं ? कितने नये केन्द्र कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 25-02-2011 तक तीन नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है. उपकेन्द्रों के स्थान, क्षमता एवं लागत का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार है. (ख) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन नहीं है. चार नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र हरदी, कल्याणपुर, अकलतरा एवं सांकर में प्रस्तावित हैं.

जिला रायगढ़ में स्वीकृत नलजल योजना की स्थिति

2. (क्र. 932) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-1-11 तक कितने ग्रामों में नल-जल योजना की स्वीकृति दी गई है ? (ख) उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कितने अपूर्ण अवस्था में हैं ? अपूर्णता का कारण क्या है ? अपूर्ण कार्य को कब तक पूरे किये जायेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-1-11 तक कुल 02 ग्रामों में नल जल योजना की स्वीकृति दी गई है. (ख) उनमें से 01 योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, 01 योजना अपूर्ण है. अपूर्णता का कारण योजना का दिनांक 21-01-2011 को स्वीकृत होना एवं निविदा प्रक्रियाधीन होना है. पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में कृषि पंपों हेतु कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मर के लंबित आवेदन

3. (क्र. 1001) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में विद्युत पंपों के कनेक्शन एवं कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर के कितने आवेदन 01-02-2011 की स्थिति में लंबित हैं. विकासखण्डवार बतायें ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में कितने कृषकों को पंप हेतु कनेक्शन प्रदान किया गया है ? कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 01-02-2011 की स्थिति में 595 पम्प कनेक्शन लंबित हैं एवं इनमें से 222 कनेक्शन के लिए कुल 35 ट्रांसफार्मर लगाये जाने के कार्य लंबित हैं, जिनकी विकासखण्डवार संख्या †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2009-10 में 801 व 2010-11 में दिनांक 01-02-2011 तक 550 कनेक्शन दिये गये. उक्त अवधि में क्रमशः 62 व 35 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में खनिज रायल्टी से प्राप्त राशि का ग्राम पंचायतों में आवंटन

4. (क्र. 1002) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक खनिज रायल्टी से कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) उक्त अवधि में प्राप्त रायल्टी के राशि में से कौन-कौन से कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया एवं कौन-कौन से ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि आवंटित किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 (24-02-2011 तक) में प्राप्त रायल्टी राजस्व :-

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त रायल्टी राजस्व की जानकारी

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	मुख्य खनिज से प्राप्त रायल्टी राजस्व (राशि रु. में)	गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राजस्व (राशि रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2007-08	6480000	214817
2.	2008-09	9414450	416938
3.	2009-10	10095149	673780
4.	2010-11	15966501	277566
(24 फरवरी 2011 तक की स्थिति में)			

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त रायल्टी राशि का वितरण उसके अगले वित्तीय वर्ष में किया जाता है. वर्ष 2007-08 में जांजगीर-चांपा जिले को गौण खनिजों से कुल रु. 508.50 लाख की रायल्टी राशि प्राप्त हुई. यह राशि वर्ष 2008-09 में कलेक्टर के द्वारा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा को सौंपा गया. वर्ष 2008-09 में प्राप्त रायल्टी राशि को वर्ष 2009-10 में कुल रुपये 741.48 लाख राशि का आवंटन जिले को दिया गया. यह राशि आहरित नहीं हो पाने के कारण वर्ष 2009-10 में इसका वितरण नहीं किया जा सकता. वर्ष 2010-11 में प्राप्त रायल्टी राशि का वितरण जिलों को वर्ष 2011-12 में किया जायेगा. वर्ष 2008-09 में जिला पंचायत को उपलब्ध कराये गये राशि से प्राप्त ब्याज की राशि से विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में स्वीकृत कार्यों की सूची † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

मीसा बंदियों को पेंशन की व्यवस्था

5. (क्र. 1416) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मीसा बंदियों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई है ? (ख) यदि हां, तो प्रत्येक मीसा बंदी को प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जाता है ? (ग) प्रदेश में पेंशन प्राप्त करने वाले मीसाबंदियों की संख्या कितनी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) मीसा/डीआईआर के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध ऐसे व्यक्ति जो एक माह से अधिक किन्तु छः माह से कम अवधि के लिये निरूद्ध रहे उन्हें 3000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो छः माह या उससे अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें 6000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि पेंशन दी जाती है. (ग) प्रदेश में पेंशन प्राप्त करने वाले मीसाबंदियों की संख्या 452 है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की स्थिति

6. (क्र. 1439) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 01 दिसंबर, 2008 से 31 दिसंबर, 2010 तक कौन-कौन से कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुये हैं ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

जांजगीर-चांपा जिले में गौण खनिज उत्खनन से प्राप्त राजस्व

7. (क्र. 1457) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में गौण खनिज उत्खनन से शासन को कितनी आय की प्राप्ति हुई है ? (ख) कंडिका "क" के समयावधि में क्या अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो अवैध उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम, ग्राम का नाम क्या-क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड डभरा एवं मालखरौदा में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में गौण खनिज उत्खनन से शासन को निम्नानुसार आय प्राप्त हुई :—

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-2011 (24 फरवरी 2011 की स्थिति में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मालखरौदा	602250	410000
2.	डभरा	88855	209075

(ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मछली पालन हेतु लीज पर दिए गए तालाब

8. (क्र. 1487) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन हेतु कितने शासकीय तालाब लीज पट्टे पर किन-किन को दिए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालन हेतु 213 शासकीय तालाब 13 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति, 89 मछुआ समूह व 57 व्यक्तिगत हितग्राहियों को लीज पट्टे पर दिए गए हैं. हितग्राहीवार, तालाब लीज एवं पट्टे की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

बिना पिटपास के अवैध रूप से खनिजों के परिवहन की जांच तथा कार्यवाही

9. (क्र. 1489) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर तहसीलदार आरंग एवं नायब तहसीलदार आरंग द्वारा बगैर पिटपास के अवैध परिवहन में लिफ्ट कुल कितने वाहनों की जांच की गई ? कुल कितने वाहनों को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया ? (ख) कितने वाहनों का प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर खनिज शाखा, रायपुर को भेजा गया एवं कितने वाहनों को अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर छोड़ा गया ? इन वाहनों से कुल कितनी राशि राजस्व के रूप में शासन को प्राप्त हुई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 31 जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक तहसीलदार आरंग द्वारा बगैर पिटपास के अवैध परिवहन में लिफ्ट कुल 03 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 02 वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया, जबकि तीसरे वाहन को चालक की सुपुर्दगी में दिया गया. इस अवधि में अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर एवं नायब तहसीलदार आरंग द्वारा किसी भी वाहन की जांच नहीं की गई. (ख) तहसीलदार आरंग द्वारा उक्त 03 वाहनों का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर को भेजे गये. अनुविभागीय दण्डाधिकारी के आदेश पर कोई भी वाहन नहीं छोड़ा गया. इन तीनों वाहनों पर की गई दाण्डिक कार्यवाही के फलस्वरूप रु. 11,000/- राजस्व के रूप में शासन को प्राप्त हुए.

विकासखण्ड सारंगढ़ तथा बरमकेला के ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

10. (क्र. 1592) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखंड के कितनी-कितनी ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हेतु राशि स्वीकृति की गई ? जनपद पंचायतवार जानकारी दें ? (ख) शौचालयों निर्माण हेतु आदेशित कार्यों में कितने ग्राम पंचायतों के कितने-कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने-कितने पूर्ण हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

सीकासेर बांध स्थित विद्युत परियोजना की क्षमता

11. (क्र. 1652) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिला के गरियाबंद ब्लाक के सीकासेर बांध स्थित विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है और वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है ? (ख) परियोजना से उत्पादित ऊर्जा का वितरण किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी मात्रा में किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिला के गरियाबंद ब्लाक के सीकासेर बांध से विद्युत उत्पादन के लिए 3.5 मेगावाट की दो इकाईयां लगाई गई हैं तथा इस विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कुल 7 मेगावाट है. बांध से जल संसाधन विभाग द्वारा छोड़े गये जल की मात्रा के आधार पर उक्त इकाईयों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर 2010 तक लगभग 51 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है. (ख) सीकासेर बांध स्थित विद्युत उत्पादन परियोजना से उत्पादित बिजली को 33 के.व्ही. लाइन द्वारा गरियाबंद ब्लाक स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के धवलपुर उपकेन्द्र में राज्य की विद्युत प्रणाली से जोड़ा गया है. चूंकि राज्य की विद्युत प्रणाली में 132 के.व्ही., 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. की लाइनें आपस में जुड़ी रहती हैं अतः उक्त संयंत्र से उत्पादित विद्युत की खपत किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी मात्रा में हो रही है की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.

जिला धमतरी में किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत पंजीबद्ध एवं लंबित प्रकरण

12. (क्र. 1676) **श्री लेखराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में किसान समृद्धि योजना वर्ष 2010-2011 में कृषि विभाग द्वारा कुल कितने प्रकरण बनाने का लक्ष्य प्रस्तावित है और तत्संबंध में शासन से कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? (ख) किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में विभाग द्वारा कुल कितने प्रकरण तैयार किये जा चुके हैं और कितने लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) धमतरी जिले में किसान समृद्धि योजना लागू नहीं होने के कारण वर्ष 2010-11 के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और न ही आवंटन प्रदाय किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जानकारी "निरंक".

कुरुद विधान सभा क्षेत्र में आत्मा योजना के तहत संपादित कार्य एवं लाभान्वित हितग्राही

13. (क्र. 1677) **श्री लेखराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आत्मा योजना के तहत कुरुद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-2009 से 31-01-2011 तक कितने कार्य कितनी राशि के किये गये ? (ख) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) आत्मा योजना के तहत कुरुद विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न फसलों पर कुल 504 फसल प्रदर्शन के आयोजन हेतु राशि रु. 73,968/- व्यय किया गया. (ख) इस योजना के अंतर्गत 504 हितग्राही लाभान्वित हुए.

धमतरी जिले में शाकम्भरी योजना के तहत कृषकों को पंप स्थापना हेतु प्रदत्त अनुदान

14. (क्र. 1678) **श्री लेखराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाकम्भरी योजना के तहत सिंचाई पंप के लिये अनुदान देने के क्या मापदंड हैं ? (ख) धमतरी जिले में वर्ष 2007-08 से 31-01-2011 तक कितने कृषकों को पंप स्थापना के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) शाकम्भरी योजनांतर्गत कृषकों को सिंचाई पंप के लिये अनुदान देने के निम्न मापदंड हैं :—

1. राज्य के समस्त वर्गों के क्रियाशील लघु एवं सीमांत कृषक जिनकी जोत सीमा 0.5 एकड़ से 5.00 एकड़ तक हो, तथा कृषक की भूमि पर अथवा उससे लगा हुआ जल स्रोत हो जिसमें पूरे वर्ष भर उसके खेतों के लिये पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता हो. नवीन कुआं निर्माण करने वाले कृषक भी पंप पर अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं.
2. योजनांतर्गत 0.5 से 5.00 हा.पा. के डीजल/विद्युत/केरोसीन/ओपनवेल सबमर्सिबल पंप पर निर्धारित अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो, अनुदान देय है.
3. सभी पंप आई.एस.आई. मार्का होना अनिवार्य है.
4. विद्युत पंपों में 2.00 हा.पा. से ऊपर के तीन फेस के सभी विद्युत पंप 4 अथवा 5 स्टार रेटेड होना अनिवार्य है.
5. पंप सेट के साथ लगने वाली सहायक सामग्री जैसे सक्शन पाईप, फुटवाल्ब, डिलीवरी पाईप, बेंड एवं स्टार्टर आई.एस.आई. होना अनिवार्य है.
6. विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करता है तथा विद्युत मंडल से विद्युत उपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होता है.
7. कृषक अपनी पसंद का पंप छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अथवा विभाग में पंजीकृत निजी प्रदायक से ले सकता है.
8. पंप प्रतिस्थापना के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान देय है.
9. कृषक को बैंक ऋण लेना अनिवार्य नहीं है, स्वयं के वित्तीय साधन से भी पंप क्रय कर सकता है. कृषक को बैंक ऋण लेने पर मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है.
10. कृषक जिसने पूर्व में अन्य किसी अनुदान योजना से सिंचाई मोटर पंप प्राप्त न किया हो.

(ख) शाकम्भरी योजनांतर्गत धमतरी जिले में वर्ष 2007-08 से 31-01-2011 तक 1097 किसानों को पंप स्थापना के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है.

उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं में व्यय राशि

15. (क्र. 1694) **श्री रामदेव राम** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यान विभाग सरगुजा के द्वारा बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में कहां-कहां प्रशिक्षण कार्य कराया गया ? (ख) सरगुजा जिले के समस्त शासकीय एवं व्यक्तिगत नर्सरियों में कितनी राशि व्यय की गई एवं बाड़ी विकास योजना कितने स्थानों में किया गया एवं कितनी राशि व्यय की गई ? जानकारी दें. (ग) सरगुजा जिले में उद्यानिकी विकास योजना, फलोद्यान योजना रोजगार गारंटी योजना सहित और कितनी योजनाएं संचालित हैं ? विवरण दें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) उद्यान विभाग सरगुजा को वर्ष 2010-11 में बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत प्रशिक्षण मद में कोई राशि स्वीकृत न होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं कराया गया. (ख) सरगुजा जिले के अंतर्गत शासकीय उद्यान नर्सरियों में दिनांक

31 जनवरी 2011 तक राशि रु. 11,07,336.00 व्यय किया गया है। नर्सरीवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है। व्यक्तिगत नर्सरियों में व्यय निरंक है। सरगुजा जिले में बाड़ी विकास योजना संचालित नहीं है। (ग) सरगुजा जिले में उद्यान विभाग द्वारा केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम, बड़े शहरों के आसपास सागभाजी उत्पादन योजना, आलू विकास योजना, फल पौध रोपण योजना, रखरखाव, टॉप वर्किंग, मसाला उत्पादन एवं विकास योजना, पुष्प विकास योजना, औषधि एवं सुगंधित फसल उत्पादन योजना, घरेलू बागवानी योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई मिशन की योजनाएं संचालित हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त जिला स्तर पर कलेक्टर सेक्टर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, पण्डो विकास अभिकरण से राशि प्राप्त होने पर उद्यानिकी विकास का कार्य किया जाता है।

जिला कोरिया में एस.डी.ओ. एवं उप अभियंताओं की पदस्थापना

16. (क्र. 1698) **श्री रामदेव राम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले में कितने सब डिविजन हैं कितने सब डिविजन में सहायक अभियंता पदस्थ हैं और कितने में प्रभारी सहायक अभियंता पदस्थ हैं ? (ख) कोरिया डिविजन में कुल कितने पद सहायक अभियंता, उप यंत्री के स्वीकृत हैं कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सिविल संकाय-03, विद्युत संकाय-01, एक सब डिविजन में सहायक अभियंता पदस्थ है एवं 03 सब डिविजन में प्रभारी सहायक अभियंता पदस्थ हैं। (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	सहायक अभियंता (सिविल)	04	01	03
2.	उप अभियंता	13	12	01
3.	सहायक अभियंता (वि./यां)	01	0	01
4.	उप अभियंता (वि./यं)	05	04	01

रिक्त पद भरे जाने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावासों की जानकारी

17 (क्र. 1733) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने छात्रावास हैं ? (ख) कहां-कहां के छात्रावासों में कितने छात्र अधिवास हैं व अधिवास छात्रों को शासन की ओर से कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 01 अनुसूचित जाति एवं 08 अनुसूचित जनजाति के कुल 09 छात्रावास संचालित हैं। (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	छात्रावास का नाम एवं स्थान	अधिवास संख्या
1.	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास, अर्जुन्दा	19
2.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, अर्जुन्दा	20
3.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, गुण्डरदेही	08
4.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, भाटागांव बी	20
5.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, भाटागांव आर	20
6.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, भीमकन्हार	30
7.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, घीना	20
8.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, सुरेगांव	20
9.	पो. मै. अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, अर्जुन्दा	14

छात्रावासों में अधिवास छात्र-छात्राओं को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है :—

प्री. मै. छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं को मेस संचालन हेतु प्रतिमाह रु. 450/- प्रति छात्र-छात्रा शिष्यवृत्ति भुगतान किया जा रहा है एवं छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, विद्युत, पानी, पलंग, गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, बर्तन, खेलकूद सामग्री, समाचार पत्र आदि की सुविधा.

पो. मै. छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं को मेस संचालन हेतु छात्रावासी दर पर पो. मै. छात्रवृत्ति के साथ भोजन सहाय राशि, निःशुल्क आवासीय सुविधा, विद्युत, पानी, पलंग, आगमन भत्ता, समाचार पत्र आदि की सुविधा.

विशेष कोचिंग एवं स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना की सुविधा.

प्रदेश में कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय

18. (क्र. 1750) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि यंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्र तथा राज्य द्वारा पोषित विभिन्न योजनांतर्गत यंत्र प्रदर्शन हेतु वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक निर्धारित लक्ष्य कितना-कितना था ? इस लक्ष्य के पूर्ति हेतु कुल कितना-कितना बजट आवंटन प्राप्त हुआ तथा कितनी राशि व्यय की गयी ? (ख) प्रश्नांक "क" के तहत योजनाओं से लाभांशित कृषकों की संख्या तथा उत्पादन वृद्धि की जानकारी दें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) केन्द्र पोषित योजनांतर्गत यंत्र प्रदर्शन की वर्षवार निर्धारित लक्ष्य, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवंटन तथा व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	बजट आवंटन (लाख रु. में)	व्यय (रु. में)	लाभांशित कृषक संख्या जिनके खेत में यंत्र प्रदर्शन किया गया	प्रदर्शन के समय उपस्थित कृषक संख्या जो कि यंत्र प्रदर्शन देखने से लाभांशित हुये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2007-08	6645	25.00	24,95,623	10,313	61601
2.	2008-09	4243	18.21	18,19,958	7392	79144
3.	2009-10	3748	11.21	11,20,277	7275	76557

राज्य पोषित योजनांतर्गत कृषि यंत्र प्रदर्शन का प्रावधान नहीं है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत 7275 कृषक जिनके खेत में यंत्र प्रदर्शन किया गया तथा 76557 कृषक यंत्र प्रदर्शन को देखकर लाभांशित हुए. उत्पादन वृद्धि में कृषि यंत्र, उन्नत बीज, खाद, मौसम एवं कीट प्रकोप का समन्वित प्रभाव पड़ता है, मात्र यंत्र के कारण उत्पादन वृद्धि का आंकलन नहीं किया जा सकता.

लोरमी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वनभूमि अधिकार पत्र का प्रदाय

19. (क्र. 1765) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोरमी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 फरवरी, 2011 की स्थिति में कितने लोगों को वनभूमि अधिकार पत्र प्रदान किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" में पूछे गये वनभूमि अधिकार पत्र हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये ? इनमें से कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं ? (ग) क्या प्रश्नांश "क" में प्रदान किये गये वनभूमि अधिकार पत्र में उल्लेखित भूमि को कृषकों के समक्ष सीमांकन कर दिया गया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 3041 लोगों को. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या
------------------------------------	-------------------------------

5181

2140

(ग) जी हां.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित भवनविहीन छात्रावास, आश्रम एवं शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

20. (क्र. 1793) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड बागबाहरा एवं पिथौरा में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल भवनविहीन हैं ? (ख) वर्तमान में कहां-कहां भवन निर्माणाधीन है ? निर्माणाधीन भवन कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? (ग) किन-किन भवनविहीन छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन की स्वीकृति बजट 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में की गई ? निर्माण की क्या स्थिति है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) केवल 12 छात्रावास भवन विहीन हैं. इन विकासखंडों में विभाग का कोई हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित नहीं हैं. (ख) वर्तमान में ग्राम तेन्दूकोना विकासखंड बागबाहरा में प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माणाधीन हैं. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) वर्ष 2008-09 में प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, तेन्दूकोना विकासखंड बागबाहरा के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया गया था. वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के बजट में किसी भी संस्था के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं दी गयी है. 75 प्रतिशत छत ढलाई पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति पर है.

मार्कफेड द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उर्वरक की खरीदी

21. (क्र. 1840) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्कफेड द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कितना उर्वरक खरीदने का लक्ष्य रखा गया था ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कौन-कौन से उर्वरक किन-किन संस्थाओं से कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर खरीदा गया ? (ग) क्या उर्वरक खरीदी के मामले में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन दोषी पाये गये ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उर्वरक खरीदी का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता. अतः जानकारी निरंक. (ख) प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक. (ग) जी हां, विवरण निम्नानुसार है :—

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना के अंतर्गत आवंटित राशि की अनियमितता, दुरुपयोग करने बाबत श्री एस. एन. दुबे, ब्रम्हपारा, राममन्दिर रोड, अंबिकापुर सरगुजा द्वारा शिकायत प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच उपरांत श्री एल. एम. भगत, उप संचालक, कृषि, अंबिकापुर के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
- (ii) श्री नितिन भंसाली नेशनल क्वाडिनेटर, इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा अधिक दर पर उर्वरकों की खरीदी बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई थी. जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया एवं शिकायत नस्तीबद्ध करने योग्य पाई गई.
- (iii) जिप्सम एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मार्कफेड द्वारा अनुमोदित दर अधिक होने की शिकायत पर सहकारिता विभाग द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं तथा संबंधित आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान रोक दिया गया है.

हीरा खदानों की सुरक्षा हेतु व्यय राशि

22. (क्र. 1879) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से 2010 तक वर्षवार देवभोग क्षेत्र स्थित हीरा खदानों की सुरक्षा के लिए राज्य शासन द्वारा मदवार कुल कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) उक्त हीरा खदानों वाला क्षेत्र कितने वर्ग कि.मी. क्षेत्र में कहां से कहां तक है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरे की स्रोत चट्टान-किम्बरलाईट नहीं पाया गया है बल्कि यह मैनपुर तहसील में पाया गया है. मैनपुर तहसील में किम्बरलाईट की सुरक्षा हेतु राज्य शासन द्वारा व्यय की गई राशि का मदवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

रायगढ़ जिले में संचालित बाल श्रमिक विशेष स्कूल में प्रदत्त सुविधाएं

23. (क्र. 1919) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कुल कितने बाल श्रमिक विशेष स्कूल संचालित हैं ? विकासखंडवार स्कूलवार एवं कक्षावार दर्ज संख्या की जानकारी दें। (ख) बाल श्रमिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? (ग) क्या, बाल श्रमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान नियमित किया जा रहा है ? अगर नहीं, तो समय पर भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत रायगढ़ जिले में कुल 14 बाल श्रमिक विशेष स्कूल संचालित हैं। विकासखंडवार, स्कूल एवं कक्षावार दर्ज संख्या की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है। (ख) रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत संचालित विशेष शालाओं में अध्ययनरत प्रति छात्र को रु. 100/- के मान से प्रतिमाह छात्रवृत्ति राशि एवं मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराई जाती है। 04 आवासीय शालाओं में क्रमशः खरसिया, चरखापारा, लैलुंगा एवं राजपुर (गोहड़ीडीपा) में आवासीय व्यवस्था है। आवासीय शालाओं में बच्चों को तीन समय नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना दिया जाता है। बच्चों को उनकी रुचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (ग) बाल श्रमिक विशेष स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिमाह उनके मानदेय का भुगतान केन्द्र शासन से आवंटन के अभाव में नियमित नहीं हो पाता है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से 2009-10 का आवंटन प्राप्त न होने के कारण माह-अक्टूबर, 2010 से उनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। आवंटन प्राप्त होते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

ट्यूबवेल खनन हेतु रायगढ़ में पंजीकृत एजेन्सी

24. (क्र. 1920) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में ट्यूबवेल खनन हेतु कितनी एजेन्सी पंजीकृत हैं ? नाम एवं पते सहित जानकारी दें। ट्यूबवेल खनन के पंजीयन हेतु किन-किन शर्तों का पालन होना अनिवार्य है ? (ख) जिले के विभिन्न विकासखण्डों में ट्यूबवेल खनन हेतु क्या-क्या दर निर्धारित की गयी है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें।

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिले में ठेकेदारी पर नलकूप खनन कार्य करने हेतु रायगढ़ खंड कार्यालय द्वारा किसी एजेन्सी का पंजीयन नहीं किया गया है। कार्यालय मुख्य अभियंता, बिलासपुर द्वारा 45 एवं कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा 18 एजेन्सियों का पंजीयन ठेकेदारी पर नलकूप खनन कार्य करने हेतु किया गया है, जो अन्य क्षेत्र के साथ ही रायगढ़ जिले में ट्यूबवेल खनन कार्य करने हेतु पंजीकृत है। नाम एवं पता सहित जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है। नलकूप खनन के पंजीयन के ठेकेदार के लिए अनिवार्य शर्तों की जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है। (ख) नलकूप खनन के लिए विभाग द्वारा विकासखण्डवार दर निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि निविदा आमंत्रित कर दर औचित्यपूर्ण होने पर उसे स्वीकृत कर कार्य कराया जाता है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन

25. (क्र. 1940) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य का वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर 19-2-11 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? (ख) राज्य सरकार द्वारा कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये ? (ग) क्या वन क्षेत्रों में रहने वालों के हित को ध्यान में रखकर निरस्त आवेदन पत्र पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 4,88,594 आवेदन. (ख) कुल 2,73,818 आवेदन. (ग) आवेदक से अपील प्राप्त होने पर पुनर्विचार किया जावेगा।

आश्रम विद्यालयों के निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा स्वीकृत राशि

26. (क्र. 1941) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्य के जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये आश्रम विद्यालय निर्माण हेतु 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितने आश्रम हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ? (ख) उक्त में से कितने स्वीकृत आश्रम विद्यालय पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? वर्षवार जानकारी दें।

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	स्वीकृत आश्रम विद्यालय की संख्या	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	पूर्ण	अपूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	32	1259.82	01	31
2008-09	18	736.00	0	18
2009-10	32	1652.90	0	32
2010-11	09	1049.05	0	09
योग	91	4697.77	01	90

(ख) जानकारी उत्तर “क” अनुसार. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

जिला महासमुंद में उद्योगों में विद्युत चोरी के पंजीबद्ध प्रकरण

27. (क्र. 1960) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिला अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सतर्कता टीम द्वारा किन-किन उद्योगों में वर्ष 2008 से दिनांक 15-2-11 तक जांच कर बिजली चोरी के प्रकरण तैयार किये गये ? किन-किन उद्योग से कितनी-कितनी राशि वसूली गई ? कितनी राशि शेष है ? (ख) कितने उद्योग के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है ? नाम सहित बतायें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल/वितरण कम्पनी की सतर्कता टीम द्वारा वर्ष 2008 से दिनांक 15-02-2011 तक महासमुन्द जिले के विभिन्न उद्योगों के कुल 49 कनेक्शनों की जांच की गई, जिसमें 10 राईस मिल उद्योग, 19 स्टोन क्रशर एवं माइनिंग उद्योग, 06 वेल्डिंग उद्योग, 12 हॉलर एवं आटा चक्की उद्योग, 01 तेल मिल उद्योग एवं 01 सॉ मिल उद्योग सम्मिलित हैं. उक्त 49 कनेक्शनों में सम्मिलित 02 उद्योगों यथा मेसर्स राजेन्द्र फर्शी उद्योग एवं मेसर्स मदन फर्शी उद्योग में बिजली चोरी के प्रकरण तैयार किये गये एवं रु. 1,26,440/- की वसूली की गई. वसूली हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है. (ख) दोनों उद्योगों के संचालक श्री राजेन्द्र चन्द्राकर एवं श्री मदन सोनवानी के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है.

प्रदेश में सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद एवं उन पर नियुक्ति

28. (क्र. 1972) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सहायक लेखाधिकारी के कितने पद रिक्त हैं, एवं इनमें से कितने पद विभागीय कर्मचारियों के लिये आरक्षित है ? (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जा सकेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में सहायक लेखाधिकारी के कुल 139 पद रिक्त हैं एवं इनमें से विभागीय कर्मचारियों के लिये 60 पद आरक्षित हैं. (ख) यथा शीघ्र.

अवैधानिक रूप से संग्रहित खाद की जप्ती

29. (क्र. 1978) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-2011 में रायपुर जिले के अंतर्गत किन-किन फर्मों/संस्थाओं से कब-कब अवैधानिक रूप से संग्रहित खाद कितनी-कितनी मात्रा में जप्त किया गया ? (ख) अवैधानिक रूप से संग्रहित खाद के लिए कंडिका “क” के फर्मों के विरुद्ध किस अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायपुर जिले में वर्ष 2010-11 में अवैधानिक रूप से संग्रहित खाद जप्ती की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	फर्म/संस्था का नाम	खाद का नाम	दिनांक	मात्रा (मे. टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मोहनलाल अग्रवाल, ग्राम-सरसीवा, विकासखण्ड-बिलाईगढ़, रायपुर.	डी.ए.पी.	31-07-2010	2.100
2.	राजेश अग्रवाल, ग्राम बयां, विकासखण्ड- कसडोल, रायपुर.	यूरिया	26-09-2010	1.850

(ख) श्री मोहनलाल अग्रवाल पिता कन्हैया अग्रवाल ग्राम सरसीवां, विकासखण्ड-बिलाईगढ़, जिला-रायपुर एवं दो अन्य श्री मनोज अग्रवाल, पिता लक्ष्मी अग्रवाल ग्राम-फगुरम, विकासखण्ड-डभरा, जिला-जांजगीर तथा श्री संतोष शर्मा पिता योगनारायण शर्मा खरसिया, जिला-रायगढ़ के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दिनांक 13-08-2010 को थाना सरसीवा में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है एवं पुलिस विवेचना पश्चात् प्रकरण क्रमांक-865/10 दिनांक 16-12-2010 को व्यवहार न्यायालय भटगांव के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. श्री राजेश अग्रवाल, ग्राम-बया, विकासखण्ड-कसडोल, जिला-रायपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दिनांक 17-10-10 को थाना कसडोल में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया एवं पुलिस विवेचना पश्चात् प्रकरण 490/10 दिनांक 13-12-10 को व्यवहार न्यायालय कसडोल के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है. प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवन विहीन पशु चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु भवन व्यवस्था

30. (क्र. 1985) **श्री दूजराम बौद्ध :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सालय व औषधालय संचालित हैं. (ख) संचालित चिकित्सालय व औषधालय में से कितने व कहां-कहां के लिये भवन उपलब्ध नहीं हैं.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पशु चिकित्सालय एवं 04 पशु औषधालय संचालित हैं. (ख) निरंक.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु तालाबों, जलाशयों की लीज अवधि

31. (क्र. 1986) **श्री दूजराम बौद्ध :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने तालाबों एवं जलाशयों को मछली पालन हेतु किन-किन व्यक्ति/फर्म/समूहों को कितनी-कितनी अवधि की लीज पर दिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 131 तालाब एवं 05 सिंचाई जलाशयों को 06 मछुआ सहकारी समिति, 42 मछुआ समूह, 22 स्व सहायता समूह एवं 23 व्यक्तिगत हितग्राहियों को 5, 7 एवं 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दिया गया है. हितग्राहीवार लीज अवधि की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1044) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

कोरबा जिले में निर्माणाधीन, प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की क्षमता, स्थान व अनुमानित लागत का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	क्षमता मेगावाट में	परियोजना स्थल	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ निर्माणाधीन संयंत्र (परियोजना)				
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, रायपुर.	500	कोरबा पश्चिम हसदेव ताप विद्युत परियोजना अंतर्गत विस्तार इकाई.	3156
2.	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	1920	ग्राम पथाडी	6480
3.	वंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर	540	ग्राम सलोरा	2500
4.	वंदना एनर्जी एण्ड स्टील्स लिमिटेड, रायपुर.	70	ग्राम धुरीखुर्द	240
5.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	30	ग्राम चाकाबुरा	102
6.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	270	ग्राम कसियापाली	1350
7.	एस. व्ही. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	63	ग्राम रेकी	200
8.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	1200	बाल्को नगर	5000
9.	स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, हैदराबाद.	100	ग्राम रतिजा	400
ब प्रस्तावित संयंत्र (परियोजना)				
10.	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	1320	ग्राम पथाडी	5500
11.	एस. व्ही. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	63	ग्राम रेकी	200

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	मारूति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर.	300	ग्राम बंदाखार	1100
13.	सोलर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर.	250	ग्राम कापूबहरा एवं जुराली	900
14.	धीरू पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	1050	ग्राम धनरास	4000
15.	ए. टी. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर.	50	ग्राम फरसवानी	150
16.	स्वास्तिक पॉवर एण्ड मिनरलस (प्रा.) लिमिटेड, कोरबा.	100	ग्राम कनेबरी	450
17.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	1200	ग्राम कटसिरा दर्री जिला कोरबा व ग्राम हैडसपुर जिला जांजगीर-चांपा.	5000

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 273) के (क) भाग की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. एफ 12-1/2007/1-3
प्रति,

रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषय :- दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितकरण बाबत.

(अ) **दिनांक 31-12-1988 के पूर्ण के दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितकरण :-**

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31-12-1988 के पूर्व नियुक्त उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितकरण के लिये परिपत्र क्र. 16/11/88/1/वेआप्र/89 दिनांक 9 जनवरी 1990 तथा बाद में भी योग्य निर्देश प्रसारित किये गये हैं. सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न हैं. उक्त परिपत्रों अनुसार दिनांक 31-12-1988 तक के दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में पदों की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाय और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की कार्यवाही की जाय. अतः दिनांक 31-12-1988 तक के दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उक्त परिपत्रों में दिये गये प्रावधान अनुसार नियमितकरण की कार्यवाही की जाय.

यह स्पष्ट किया जाता है कि अब कार्य विभागों में कार्यरत गेंगमेन/श्रमिक भी नियमितकरण की परिधि में आवेंगे.

(ब) **दिनांक 01-01-1989 से दिनांक 31-12-1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितकरण :-**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. के प्रकरण में दिनांक 10-04-2006 को आदेश पारित कर यह सामान्य निर्देश दिया है कि केवल एक बार/एक समय के लिये 10 वर्षों या अधिक समय से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/अस्थाई कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति (IRREGULAR APPOINTMENTS) को नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए.

2. उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की नियमितकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

i) व्यक्ति, रिक्ति/स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया हो और विभागीय भरती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखता हो तो ही नियमित करने योग्य है.

ii) दैनिक वेतन पर, तदर्थ रूप से अथवा कलेक्टर दर पर (दैनिक वेतन पर) जब नियुक्ति हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही है और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तो संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते हुए विचार किया जा सकेगा

2011

iii) संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतन भोगी (चाहे कलेक्टर दर पर) के रूप में अथवा तदर्थ रूप में दिनांक 31-12-1997 तक लगातार उसी पद पर या समकक्ष पद पर कार्य किया हो के संबंध में लगातार कार्य करना (सेवा देना) तब ही माना जायेगा यदि प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक एक माह से अधिक की न हो. लगातार सेवा के लिये हड़ताल की अवधि सेवा में ब्रेक नहीं मानी जायेगी.

iv) दिनांक 31-12-1997 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ नियुक्त एवं कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाय.

v) व्यक्ति यदि कार्यभारित पदों के विरुद्ध कार्यरत है तो कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाए नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हो तो नियमित पद पर ही नियमित किया जाए.

vi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का पालन किया जावे अर्थात् दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप में कार्यरत व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है रोस्टर के अनुसार उसी बिंदु के समक्ष उसका नियमितिकरण किया जाये एवं रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के बिंदु यदि उम्मीदवार के अभाव में रिक्त रहते हैं तो भविष्य में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति आरक्षित बिंदुओं के लिये प्राथमिकता के आधार पर बैकलाग की पूर्ति की तरह की जायेगी.

vii) नियमितिकरण स्वीकृत एवं रिक्त पद पर ही किया जाएगा. इस हेतु जिन विभागों में आवश्यक हो वहां सांख्येतर पद निर्मित किये जायें. यदि पद ही कलेक्टर दर पर स्वीकृत हो तो स्वीकृत पदों (दैनिक वेतन पर) को नियमित वेतनमान में परिवर्तित (सृजित) करना होगा.

viii) परिपत्र जारी होने के बाद प्रशासकीय विभागों द्वारा नियमितिकरण के आदेश जिस दिन जारी किये जायेगे उसी दिनांक से ही नियमित कर्मचारी माने जावेगे. पूर्व के किसी दिनांक से नहीं. पदक्रम सूची में इनके नाम आपसी वरिष्ठता अनुसार एनब्लाक सबसे नीचे रखे जायेगे.

ix) उपरोक्तानुसार नियमित रूप से नियुक्ति दी गई व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/कलेक्टर दर पर, अथवा तदर्थ रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर निर्धारित की जावेगी. वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक में नियुक्त किये गये हों तो उनमें से जो आयु में अधिक होगा उसे वरिष्ठ माना जायेगा.

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह उल्लेख है कि नियुक्ति "अवैध" न रही हो केवल "अनियमित" रही हो तभी नियमितिकरण के लिये विचार किया जा सकेगा. इस संबंध में अनियमित नियुक्तियां उन्हें माना जाये जिनमें नियुक्त व्यक्ति संबंधित पद के लिये सभी अर्हता रखता है परन्तु नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो. ऐसे व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्रता रखेगा. परन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं है एवं उसे नियुक्त किया गया है तो ऐसी नियुक्ति अवैध नियुक्ति मानी जायेगी. किन्तु किसी व्यक्ति ने दिनांक 31-12-1997 से पूर्व अर्हता प्राप्त कर ली है एवं उक्त पद की अन्य शर्तों की पूर्ति करता हो तो उसे भी नियमित किया जायेगा.

4. नियमितिकरण की यह कार्यवाही केवल एक बार के लिये होगी.

5. भविष्य में जहां भी किसी पद की आवश्यकता लम्बे व अनिश्चित समय तक के लिये हो वहां पद कलेक्टर दर पर/दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किये जाएंगे. दैनिक वेतन/कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में स्वीकृत किये जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिये हो और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी. भविष्य में दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जायेगी. इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है.

6. नियमितिकरण की उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था में अधिकतम आयुसीमा में छूट रहेगी. नियुक्ति के पूर्व प्रत्येक कर्मचारी से उसकी जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये, ताकि उसी के आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जा सके.

7. शासन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये संबंधित विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक छानबीन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित पद के नियुक्तकर्ता अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों को सदस्य रखा जायेगा. समिति द्वारा नियमितिकरण संबंधी निर्धारित सिद्धांतों/प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर उचित अनुशांसा की जायेगी. इसी प्रकार कार्यालय प्रमुख स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये कार्यालय प्रमुख स्तर पर छानबीन समिति का गठन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जायेगा. न्यायालय अथवा प्रशासनिक अभिकरण के आदेश से नियमित कर दिये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों के प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं किये जावे. साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रश्नाधीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो ऊपर नीति/मापदण्ड उल्लेखित है उसकी परिधि में नहीं आने पर प्रकरण विचारणीय नहीं होंगे.

8. छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तकर्ता अधिकारी नियमितिकरण/नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे. छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितिकरण केवल अनियमित नियुक्तियों की ही की जावे, अवैध नियुक्तियों का नियमितिकरण नहीं किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(व्ही. के. राय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ 12-1/2007/1-3

रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाईट, रायपुर,
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
7. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ. ग. शासन, रायपुर,
9. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष-9) सा. प्र. वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 25 प्रतियों सहित प्रेषित.
16. एन. आई. सी. मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.Nic.in/gad पर इन्द्राज हेतु प्रेषित.
17. समस्त अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

2011

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 918) के भाग (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में क्रेशर उद्योग हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा की जानकारी

क्र.	पट्टेधारी का नाम पता	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण			उत्पादन की मात्रा (घन मी.)	जमा की गई रायल्टी की जानकारी	रिमार्क	
			ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)				अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	श्री जया प्रसाद चौहान पिता श्री जगसुन्दर चौहान, निवासी- गिण्डोला, तहसील खरसियां, जिला- रायगढ़.	पत्थर	झिंटीपाली	25 एवं 26	0.429	30-09-2009 से 29-09-2012	2624.82	270357=00	कार्यशील
2.	श्री विंकल मित्तल आत्मज श्री अशोक मित्तल निवासी लैलूंगा, तहसील लैलूंगा, जिला- रायगढ़.	पत्थर	जामबहार	534	1.850	03-09-2009 से 02-09-2014	0	0	भू-प्रवेश की कार्यवाही प्रचलित.
3.	श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल पति श्री विजय अग्रवाल निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़.	पत्थर	कंझारी	104/1	0.809	07-07-2010 से 30-06-2015	0	0	भू-प्रवेश की कार्यवाही प्रचलित.
4.	श्री विजय कुमार अग्रवाल आ. श्री जगतराम अग्रवाल निवासी पत्थलगांव जिला-जशपुर.	पत्थर	तेजपुर	330	2.000	19-11-2004 से 18-11-2009 (स्वीकृत) 19-11-2009 से 18-11-2014 (नवीनीकृत)	6018.89	332351=00	कार्यशील
5.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल आ. श्री लेखराम अग्रवाल निवासी गेरवानी, तहसील व जिला- रायगढ़.	पत्थर	गेरवानी	141	0.478	27-07-2010 से 26-07-2013	900.00	92700=00	कार्यशील
6.	श्री बोधराम गुप्ता आ. श्री टिकनू राम गुप्ता निवासी सराईपाली, तहसील तमनार, जिला- रायगढ़.	पत्थर	भुईकुरी	124/4	1.214	08-02-2010 से 07-02-2013	4367.47	449850=00	कार्यशील

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	श्री मोहन शर्मा आ. स्व. राम अवतार शर्मा निवासी गौशाला रोड रायगढ़.	पत्थर	गढ़कुरी	221/3	0.809	01-12-2010 से 30-11-2013	150.00	15450=00	कार्यशील
8.	श्री घनश्याम पटेल आ. श्री कुंजराम पटेल निवासी डोगीतराई जिला रायगढ़.	पत्थर	कांन्दागढ़	156	3.213	08-02-2010 से 07-02-2013	905.82	93300=00	कार्यशील
9.	श्री आनंद अग्रवाल आ. स्व. नरसिंह दास अग्रवाल निवासी पुराना सदर बाजार रायगढ़.	पत्थर	झिलगीटार	16/716/ 877/8	2.022	अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित.	0	0	अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित.

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 298) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में विभिन्न निवेशकों के साथ सम्पादित एम. ओ. यू. के अंतर्गत प्रस्तावित निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	निवेशक का नाम (2)	क्षमता (3)	चयनित स्थल (4)	पर्यावरण अनुमति की स्थिति (5)
1.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 250 MW	तमनार	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
2.	मेसर्स ए. ई. एस. (इण्डिया) लिमि., गुड़गांव.	1200 MW	खम्हार, भोजपुर धरमजयगढ़.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
3.	मेसर्स पाटनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई.	540 MW	गोर्ा	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
4.	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई.	1200 MW	सपनैल	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
5.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली.	1200 MW	बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, अमलीभौंना.	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 600 MW के लिये दी गई है.
6.	मेसर्स महावीर ग्लोबल कोल लिमि. नागपुर.	540 MW	भेंगारी व छाल	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन्स लिमि. बिलासपुर.	2 x 35 MW	भेंगारी व छाल	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 12 MW के लिये दी गई है.
8.	मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली.	625 MW	भेंगारी एवं नवापारा.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
9.	मेसर्स एस. के. एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई.	1800 MW	ग्राम बिंजकोट, बड़े जामपाली, दरामुड़ा, कुस्भाठा.	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 1200 MW के लिये दी गई है.
10.	मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता.	2 x 600 MW	किरिटमल	
11.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	1260 MW	सलिहाभाटा, तमनार.	
12.	मेसर्स जिन्दल इण्डिया थर्मल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 600 MW	लोहाखान	
13.	मेसर्स जे. एस. डब्ल्यू. एनर्जी लिमि. मुंबई.	1320 MW	सारूवानी ऊल्दा	
14.	मेसर्स सिंघल एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता.	2 x 135 MW	तमनार	
15.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 600 MW	तमनार, कसडोल, कुंजेमुड़ा, देवगांव.	
16.	मेसर्स गोदावरी पावर लिमि., रायपुर.	2 x 600 MW	नवापारा, चितपाली.	
17.	मेसर्स जायसवाल निको पावर लिमि., नागपुर.	300 MW	हमीरपुर, जोबरा.	
18.	मेसर्स जे. एल. डी. यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, नागपुर.	1215 MW	राजपुर, लैंलूंगा.	
19.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 MW	लारा	

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	मेसर्स श्याम इण्डस पॉवर सलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	500 MW	शिवपुरी	
21.	मेसर्स शिवकोल बेनिफिकेशन्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	100 MW	शिवपुरी	

परिशिष्ट “पांच”
[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1970) की जानकारी]

क्र.	कंपनी का नाम	कृषक संख्या			प्रदाय स्प्रिंकलर का कुल मूल्य राशि (रु. में)			अनुदान राशि (रु. में)		
		2009- 10	2010- 11	योग	2009- 10	2010- 11	योग	2009- 10	2010- 11	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आकाश इंडस्ट्रीज राजनांदगांव.	49	0	49	9,50,936	0	9,50,936	5,92,230	0	5,92,230
2.	ग्रीनगोल्ड इरिगेशन प्रा. लिमि., डोंगेरगढ़.	96	9	105	15,79,153	1,79,748	17,58,901	9,62,029	1,21,960	10,83,989
3.	जैन इरिगेशन प्रा. लिमि., रायपुर.	6	1	7	99,073	13,710	1,12,783	65,773	9,597	75,370
4.	बली राम एंड संस राजनांदगांव.	0	4	4	0	75,332	75,332	0	60,264	60,264
5.	श्वेता इंटरप्राइजेस, रायपुर.	11	0	11	1,90,432	0	1,90,432	1,24,399	0	1,24,399
योग		162	14	176	28,19,594	2,68,790	30,88,384	17,44,431	1,91,821	19,36,252

2011

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1917) के भाग (ख) की जानकारी]

**दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में निर्माण संभाग (एस. टी. आर. ई.) रायगढ़ में कृषि पम्प कनेक्शन
लंबित रहने के संख्यावार कारण**

क्रमांक	कृषि पम्प कनेक्शनों की संख्या	लंबित रहने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.	934	विस्तार कार्य प्रगति पर
2.	21	लाईन विस्तार अंतर्गत प्रभावित भूमि के भूस्वामियों की आपत्ति के कारण खम्भे लगाने के कार्य में रूकावट के कारण.
3.	44	खेत में फसल के कारण खम्भे लगाने को वर्तमान में स्थगित
4.	224	निविदा आमंत्रण प्रक्रियाधीन होने के कारण
कुल	1223	

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1876) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

बाल्को द्वारा राज्य में धारित खनिपट्टों की जानकारी

क्र.	खनिपट्टेधारी का नाम व पता	खनिपट्टा का लोकेशन	जिला	रकबा (हेक्टर में)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	सेमसाटा, मुंडादादर, केशमर्दा, रब्दा तह. कबीरधाम.	कबीरधाम	626.117	20 वर्ष 27-03-97 से 26-3-2017
2.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	केसरा, कुदारीडीह, सपनादर तह. सीतापुर.	सरगुजा	639.139	20 वर्ष 9-7-92 से 8-7-2012

प्रपत्र “ब”

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) द्वारा उत्खनन कर भेजे गये खनिज बाक्साइट की जानकारी

क्र.	वर्ष	उत्पादन (मे. टन)	प्रेषित मात्रा (मे. टन)		योग
			वेदांता लांजीगढ़ (उड़ीसा) को	बाल्को, कोरबा को	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) जिला कबीरधाम					
1.	2004-2005	2719	2687	0.00	2687
2.	2005-2006	65338	62291	0.00	62291
3.	2006-2007	331929	330332	0.00	330332
4.	2007-2008	520146	446433	78046	524479
5.	2008-2009	300151	260637	39343	299980
6.	2009-2010	299980	300000	0.00	300000
7.	2010-2011 (जनवरी 2011 तक).	385350	3843689	0.00	384369
योग		1905613	5246069	117389	1904138

(1) जिला सरगुजा

1.	2004-2005	493420	0.00	509751	509751
2.	2005-2006	565290	0.00	561311	561311
3.	2006-0207	665495	0.00	668245	668245
4.	2007-2008	628984	0.00	629035	629035
5.	2008-2009	571423	10969	553547	564517
6.	2009-2010	486429	368335	121202	489537
7.	2010-2011 (जनवरी 2011 तक).	437439	437187	0.00	437186
योग		3848480	816491	3043091	3859582

परिशिष्ट “आठ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 858) के भाग (क) की जानकारी]

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को कृषि पम्प कनेक्शन हेतु जारी किये गये कार्यादेश की तिथि का वर्षवार विवरण

क्र. (1)	उपभोक्ता का नाम/पिता (2)	कार्यादेश तिथि (3)
वर्ष 2008-09		
1.	श्री बोटी	14-11-07
2.	श्री रघु	14-11-07
3.	श्री भानु	14-11-07
4.	श्री सुनील गिरधर	11-12-07
5.	श्री जगरा	17-01-08
6.	श्री दिनश कुमार वर्मा	05-03-08
7.	श्री भागीरथी/मीना	05-03-08
8.	श्री बोटीराम/मंगलू	11-03-08
9.	श्री आयतु/मासा	11-03-08
10.	श्री डोगाराम/दसरू	11-03-08
11.	श्री कमलूराम/मिसिर	11-03-08
12.	श्री ढोलूराम/डोमुराम	27-03-08
13.	श्री वैदुराम/बुधरूराम	27-03-08
14.	श्री सोमारू/काना	16-05-08
15.	श्री नाडाराम/लक्ष्मण	16-05-08
16.	श्री बुधा राम	16-05-08
17.	श्री तिजु	16-05-08
18.	श्री सुखदेव	16-05-08
19.	श्री रमेश	16-05-08
20.	श्री नाडी	16-05-08
21.	श्री विश्वनाथ	16-05-08
22.	श्रीमती सुखदेई	16-05-08
23.	श्री श्याम सुंदर/दलसाय	16-05-08
24.	श्री अन्नतराम यादव	16-05-08
25.	श्री चेरगी/जगु	16-05-08
26.	श्री भदरू/बुधु	16-05-08
27.	श्री जगबंधु/लक्ष्मण	31-05-08
28.	श्री चंपेश्वर/गणपत	11-07-08
29.	श्री च्यवन प्रसाद/बिम्बाधा	11-07-08
30.	श्री जीवनाय/परदेशी	02-08-08
31.	श्रीमती धनमति/मिटु	19-08-08
32.	श्री भागीरथी/लखमू	25-08-08

2011

(1)	(2)	(3)
33.	श्रीमती नीलम कोडपी	26-08-08
34.	श्री मोहन सिंह धाकड़	26-08-08
35.	श्रीमती हिरामणी	26-08-08
36.	श्री मोसू/मांहगु	08-09-08
37.	श्री महादेव	15-09-08
38.	श्रीमती लक्ष्मी कच्छ	11-11-08
39.	श्री प्रभास कुमार बुध	11-11-08
40.	श्री लखपति/बोडका	19-11-08
41.	श्रीमती लछनी	28-11-08
42.	श्री कार्तिक/सुदरू	28-11-08
43.	श्री लखुराम/गुण्डाराम	28-11-08
44.	श्री दुर्गाप्रसाद/दुलबो	28-11-08
45.	श्री बट्टीनाथ/शकुनी	28-11-08
46.	श्री चन्द्रभान/जयसिंह	02-12-08
47.	श्री मनोज/मुकुद	03-12-08
48.	श्री गुलाब सिंह धाकड	12-12-08
49.	श्री हिमांचल/मुरली	15-12-08
50.	श्री टेढीराम/मंगलू	22-01-09
51.	श्री बोरगु/धनपत	22-01-09
52.	श्री सुंदर/सुकलो	22-01-09
53.	श्री आयतु/मोटा	22-01-09
54.	श्री बंधुराम/सुकरू	22-01-09
55.	श्री केदारनाथ/हरिहर	22-01-09
56.	श्रीमती फगनी/बालसिंग	22-01-09
57.	श्रीमती बुधरी/माटा	30-01-09
58.	श्री अमर सिंह/रामसाय	23-03-09
59.	श्री पदम सिंह ठाकुर	24-03-09
60.	श्री साकरू राम/लखमू राम	24-03-09
61.	श्री कृष्ण कुमार/पूरन सिंह	ऑन लाईन
62.	श्री अशोक मेश्राम/बाबु	ऑन लाईन
63.	श्री हीराराम/कचरा	ऑन लाईन
64.	श्री पदम/महादेव	ऑन लाईन
65.	श्री टीकाराम/मनचीन	ऑन लाईन
66.	श्री श्याम सिंह/मधुसुदन	ऑन लाईन
67.	श्री भजन/गागरा	ऑन लाईन
68.	श्री बंगालु राम	ऑन लाईन
69.	श्री अनंतु राम/मानसिंह	ऑन लाईन
70.	श्रीमती पुरसोति/लेबो	ऑन लाईन

(1)	(2)	(3)
	वर्ष 2009-10	
71.	श्री शिबो/मिटु	20-04-09
72.	श्री टाडी/धरमु	20-04-09
73.	श्री बोटीराम/अरकित	20-04-09
74.	श्री रतन राम/रघुनाथ	22-04-09
75.	श्री रतन सिंह/अर्जुन	22-04-09
76.	श्री गडरू राम/मसुराम	22-04-09
77.	श्रीमति बासुमति/गंगाराम	22-04-09
78.	श्रीमति कृष्णा देवी	22-04-09
79.	श्री हरदास/कोदू	22-04-09
80.	श्रीमति चंपा बाई	22-04-09
81.	श्री बोडका/सोनाधर	27-04-09
82.	श्री चैतन/लक्ष्मी नाथ	04-05-09
83.	श्रीमति सुप्रिया श्रीवास्तव	17-06-09
84.	श्री विकास श्रीवास्तव	17-06-09
85.	श्री चम्पकलाल चांडक	27-07-09
86.	श्री अंजना गुडिया	02-08-09
87.	श्रीमति कारीबाई	02-08-09
88.	श्री भादुराम/पुरन	02-08-09
89.	श्री बली राम/सोनसिंह	03-08-09
90.	श्री नेत्रपाल सिंह	11-08-09
91.	श्रीमति सोनमति ठाकुर	24-08-09
92.	श्री बुधु/बेहा	31-08-09
93.	श्री फततेराम/खतकुडी	31-08-09
94.	श्रीमति बुधरी/कुग	31-08-09
95.	श्री बुटलू/सुकलधर	31-08-09
96.	श्री बलीराम/सोनसिंह	31-08-09
97.	श्री साई राम/लखमु	07-09-09
98.	श्रीमति कारीबाई	07-09-09
99.	श्री लक्ष्मीनाथ पानीग्राही	07-09-09
100.	श्री बलराम मांझी	13-10-09
101.	श्री मंगलुराम/सुदु	21-10-09
102.	श्री जगतुराम/भदर	13-11-09
103.	श्री पदम पैगढ/बोडका	13-11-09
104.	श्री मोरकी/गांधी	13-11-09
105.	श्री जपमनसिंह ठाकुर	13-11-09
106.	श्री महेश राम ठाकुर	13-11-09

2011

(1)	(2)	(3)
107.	श्री लखेश्वर/चंदन	13-11-09
108.	श्री मुंगरा राम बघेल	13-11-09
109.	श्री सुकोराम/पांडूराम	13-11-09
110.	श्रीमति सोनाई/कन्हारई	10-12-09
111.	श्रीमति रूपाय/स्व. श्री कमलू	10-12-09
112.	श्री राम/सोनाधर	10-12-09
113.	श्री अनिल नाग	10-12-09
114.	श्री मोसूराम/सोमारू	11-01-10
115.	श्री लुदुराम/देउराम	11-01-10
116.	श्री दिनेश बघेल	11-01-10
117.	श्री इंदर/बोगू	30-01-10
118.	श्री बैदुराम कश्यप	31-03-10
119.	श्री धरम सिंग/सुकलो	ऑन लाईन
120.	श्री झाडूराम/लक्ष्मीनाथ	ऑन लाईन
121.	श्री काशीनाथ/तालीराम	ऑन लाईन
122.	श्री धनुर्जय पानीग्राही	ऑन लाईन
123.	श्रीमति कुंती बाई	ऑन लाईन
124.	श्री पी. आर. कश्यप	ऑन लाईन
125.	श्री कार्तिक/महादेव	ऑन लाईन
वर्ष 2010-11 (दिनांक 31-01-2011 तक)		
126.	श्री दीनूराम/बोण्डका	16-04-10
127.	श्री सोमारूराम	ऑन लाईन
128.	श्री सुखदेवराम	ऑन लाईन
129.	श्री मेघनाथ मुरिया	ऑन लाईन
130.	श्री लखमु/बोडी	ऑन लाईन

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1650) के भाग (क) की जानकारी]

एकीकृत आदिमजाति विकास परियोजना गरियाबंद, जिला-रायपुर अंतर्गत एन. जी. ओ. को दिये कार्य एवं राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत रा
1	2		3	4
08-09	वाटिका समाज सेवी संस्था केशकाल	1	सायकिल रिपेयरिंग प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता	12.00
		2	कौशल विकास हेतु राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम.	5.22
		3	लाख उत्पादन सह विकास योजना	3.86
		4	परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत लाख उत्पादन कार्य	10.00
		5	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान	3.51
		6	खाद, बीज कीटनाशक एवं कृषि उपकरण का वितरण	0.50
		7	बाड़ी विकास योजना	0.37
		8	मधुमक्खी पालन	0.50
		9	वर्मी कम्पोस्ट विकास कार्यक्रम	1.00
आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	अ.ज.जा. वर्ग के युवक युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्षीय)	8.00	
				योग(1 कार्य)
मेसर्स, एस.के. ट्रेडर्स, परसुराम नगर माइनिंग आफिस के पीछे रायपुर	1	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को ईट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25	
	2	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु सेन्टरिंग प्लेट हेतु सहायता	1.00	
				योग (2 कार्य)
अध्यक्ष अश्व समग्र सामाजिक एवं मानव कल्याण संगठन आड़ावाल जगदलपुर	1	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.00	
	2	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण/औजार अनुदान	2.00	
	3	हस्त शिल्प (बांस) निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (20 हितग्राहियों की एक इकाई)	3.00	
	4	राज मिस्त्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम (20 प्रशिक्षणार्थियों की एक इकाई)	4.00	
	5	सिलाई तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	5.00	

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	
08-09	अध्यक्ष अश्व समग्र सामाजिक एवं मानव कल्याण संगठन आड़ावाल जगदलपुर	6 सायकल प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 हितग्राहियों की एक इकाई)	4.00	
		7 आचार, पापड़, बड़ी निर्माण प्रशिक्षण (25 प्रशिक्षणार्थियों की एक इकाई)	3.00	
		8 दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	5.00	
		9 बर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं यूनिट का निर्माण	6.00	
		10 अनु.जा.वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को उन्नत प्रजाति के सब्जी बीज एवं बाड़ी विकास कार्यक्रम	3.00	
	योग (10 कार्य)			41.00
	स्वयं सेवी संस्था उपवन महिला एवं बाल विकास समिति रायपुर	1 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज मिस्त्री प्रशिक्षण)	5.00	
		2 माइक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान (धानबीज, गन्ना फसल हेतु बीज एवं उर्वरक हेतु अनुदान)	2.00	
		3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	2.00	
		4 लघु वनोपज/औषधि रोपण	1.30	
5 लघु वनोपज कार्य हेतु अनुदान		1.30		
योग (5 कार्य)			11.60	
मां शारदा लोक कला मंच जगदलपुर	1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00		
	2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों सेन्ट्रींग प्लेट हेतु सहायता	1.00		
	3 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों ईट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25		
	योग (3 कार्य)			4.25
स्पेशल एजुकेशन एवं वेलफेयर एशोसियेशन रायपुर	1 अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को आचार, पापड़, बड़ी निर्माण प्रशिक्षण (25 प्रशिक्षणार्थियों की एक इकाई)	1.50		
	2 अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को उन्नत प्रजाति के सब्जी बीज एवं बाड़ी विकास कार्यक्रम	3.00		
	3 दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	2.50		

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
	स्पेशल एजुकेशन एवं वेलफेयर एशोसियेशन रायपुर	4	बर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं यूनिट का निर्माण	3.00
		5	अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को जैविक खाद, कीटनाशक दवाई एवं माइक्रोन्यूट्रेंट कीट प्रदाय	2.64
			योग (5 कार्य)	12.64
	संगवारी समाज सेवी संस्था महासमुंद	1	लाख उत्पादन सह विकास योजना	1.92
			योग (1 कार्य)	1.92
	एस.के. ट्रेडर्स, जगदलपुर	1	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापना अंतर्गत सेन्ट्रिंग प्लेट हेतु सहायता	1.00
		2	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ईट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25
			योग (2 कार्य)	2.25
	वर्ष 08-09 में कुल 38 कार्यों में राशि का योग			120.87
09-10	आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	अ.ज.जा. वर्ग के युवक युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्षीय)	3.00
			योग (1 कार्य)	3.00
	अध्यक्ष, यू.आई.सी.टी. सरगुजा	1	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	6.00
			योग (1 कार्य)	6.00
	मानव उत्थान शिक्षा संस्थान जगदलपुर	1	रस्सी निर्माण, टाटपट्टी निर्माण कार्यक्रम	3.00
		2	लाख विकास योजना	6.20
		3	दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित	6.00
		4	बांस बर्तन निर्माण / बांस शिल्प प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता एवं चटाई निर्माण	5.50
		5	सिलाई कंढाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	2.00
		6	सायकल मरम्मत प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		7	ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		8	किराया भण्डार एवं लाऊडस्पीकर हेतु सहायता	3.00
		9	स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सेन्ट्रींग प्लेट हेतु सहायता	9.00
		10	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80
		11	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80
			योग (11 कार्य)	43.30

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
09-10	अध्यक्ष विकास समाज सेवी संस्था नवागढ़	1	सीमेंट पोल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	3.00	
		2	कुक्कुट पालन	0.36	
		3	सुकर वितरण	0.88	
		4	बकरी पालन	0.65	
		5	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80	
		6	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80	
	योग (06 कार्य)			7.49	
	संगवारी समाज सेवी संस्था महासमुंद	1	सीमेंट पोल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	5.55	
		योग (01 कार्य)			5.55
	सीडो ग्रामीण विकास संस्था रायपुर	1	कुक्कुट पालन	0.72	
		2	सुकर वितरण	1.54	
		3	बकरी पालन	1.17	
		4	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80	
		5	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80	
	योग (05 कार्य)			6.03	
	आकांक्षा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी डोगरगढ़	1	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	4.00	
		योग (01 कार्य)			4.00
	वर्ष 09-10 में कुल 26 कार्यों में राशि का योग			75.37	
	10-11	आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	कौशल विकास-कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.00
			योग (01 कार्य)		
		अध्यक्ष यू.आई.सी.टी. सरगुजा	1	कौशल विकास-कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.00
योग (01 कार्य)			6.00		
अध्यक्ष विकास समाज सेवी संस्था नवागढ़		1	मोटर ड्रायविंग / मैकेनिक प्रशिक्षण	1.00	
		2	जे.सी.बी. मशीन ड्रायविंग, मैकेनिक	0.90	
		3	विद्युत वाईडिंग प्रशिक्षण एवं मरम्मत	1.00	
योग (03 कार्य)			2.90		
छ.ग.अवेयरनेस वेलफेयर सोसायटी नयापारा जगदलपुर		1	मुधमक्खी पालन कार्यक्रम	4.00	
		2	दोना पत्तल प्रशिक्षण एवं मशीन	5.00	
		3	बांस बर्तन निर्माण / बांस शिल्प-प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता एवं चटाई निर्माण	5.00	
		4	पलाई एश ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00	
		5	मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण सहायता	3.00	

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
10-11	छ.ग.अवेयरनेस*वेलफेयर सोसायटी नयापारा जगदलपुर	6	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	7.00
		7	सायकल मरम्मत प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		8	मोटर ड्रायविंग / मैकेनिक प्रशिक्षण	2.00
		9	जे.सी.बी मशीन ड्रायविंग, मैकेनिक	2.10
		10	विद्युत वाईडिंग प्रशिक्षण एवं मरम्मत	2.08
			योग (10 कार्य)	36.18
वर्ष 10-11 में कुल 15 कार्यों में राशि का योग				48.080
महायोग				244.32

परिशिष्ट "दस"

[तारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1977) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड समन्वयकों एवं ग्राम प्रेरक के पदों हेतु योग्यताएं :-

1. जिला परियोजना समन्वयक (संपूर्ण स्वच्छता अभियान/Quality Assurance)

अर्हताएं :-

1. सिविल इंजीनियरिंग विषय में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे- एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णतः अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :- 21 से 35 वर्ष

2. जिला परियोजना समन्वयक (शालेय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा SSHE)

योग्यताएं :-

1. एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे- एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णतः अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :- 21 से 35 वर्ष

3. जिला योजना समन्वयक (सामाजिक गतिशीलता Social Mobilization)

अर्हताएं :-

1. एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे- एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णतः अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :- 21 से 35 वर्ष

जिला समन्वयक सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की निगरानी में कार्य संपादन करेगा. जिला स्तर पर गठित जिला सी.सी.डी.यू. सेल क्षेत्रीय सी.सी.डी.यू. से समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करेगा.

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 538) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	कम्पनी	लागत (इकाईयों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार)	क्षमता (मेगावाट में)	स्थल	अनुमति दिनांक
1.	मेसर्स सिंघल फॉरेस्ट्री प्रा. लिमिटेड, रायपुर	3859 लाख	02	ग्राम-दरभाठा एवं बैतारी, तहसील-सरायपाली जिला महासमुन्द.	17-09-2010
2.	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड, रायपुर	2900 लाख	02	ग्राम-खरोरा, जिला-रायपुर.	17-09-2010

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 477) के भाग (ग) की जानकारी]

बंद नलजल योजना की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थान/योजना का नाम	योजना बंद होने के कारण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दरभा	छिंदावाड़ा	छिंदावाड़ा	मोटर खराब हो गया है.	ग्राम पंचायत को हस्तांतरित है.
2.	जगदलपुर	खमारगांव	खमारगांव	मोटर खराब हो गया है.	ग्राम पंचायत को हस्तांतरित है.

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 539) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में "निर्मल ग्राम" के तहत चिन्हांकित ग्राम पंचायतों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चिन्हांकित एवं पुरस्कृत	निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
1	2	3	4	5	6
1	नवागढ़	कन्हाईबंद	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
2	बम्हनीडीह	खम्हिया	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
3	बम्हनीडीह	देवरी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
4	बम्हनीडीह	सोनाईडीह	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
5	अकलतरा	अकलतरा	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
6	अकलतरा	बनाहिल	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
7	अकलतरा	कोटगढ़	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
8	अकलतरा	अमलीपाली	2007-08	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत	—
9	बलौदा	कुदरी	2007-08	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत	—
10	बलौदा	बगडबरी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
11	बलौदा	भिलाई	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
12	बलौदा	दहकोना	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
13	बलौदा	हरदी विशाल	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
14	बलौदा	पहरिया	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
15	पामगढ़	बरगांव	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
16	पामगढ़	भवतरा	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
17	पामगढ़	पेन्डी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
18	डभरा	दरी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
19	डभरा	लटेसरा	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
20	डभरा	मिरौनी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
21	डभरा	साराडीह	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
22	मालखरौदा	आमनदुला	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
23	मालखरौदा	अमेराडीह	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
24	मालखरौदा	बोड़ासागर	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं
25	मालखरौदा	मरघट्टी	2008-09	—	चिन्हांकित एवं पुरस्कृत नहीं

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1588) के भाग (ख) की जानकारी]

खनिपट्टा-चूनापत्थर(मुख्य खनिज)

क्र	पट्टेधारी का नाम पता	खनिज का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रदीप कुमार केडिया,आ. श्री सत्यनारायण निवासी बैकुण्ठपुर, रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	553	2.023	21.03.1996 से 20.03.2016	दिनांक 1.5.2007 से शिथिल
2	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल आ. श्री चैतराम अग्रवाल, निवासी टिमरलगा	चूनापत्थर	टिमरलगा	1914 / 1, 2,3, 1916	0.866	28.01.1996 से 27.01.2016	दिनांक 14.3.2007 से शिथिल
3	श्री योगेश बेरीवाल आ. श्री पूनम चंद बेरीवाल निवासी दानीपारा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	558, 581, 583	4.500	23.11.2002 से 22.11.2022	दिनांक 19.6.2008 से शिथिल
4	श्री जीवन राम अग्रवाल,रामनिवास टाकीज चौक,रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	540	1.447	27.03.2002 से 26.03.2022	गिट्टी के रूप में बिक्री करने की अनुमति प्राप्त।

उत्खनिपट्टा-चूनापत्थर (गौण खनिज)

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मुकेश कुमार भालोटिया आ. स्व. मोतीलाल भालोटिया निवासी बैकुण्ठपुर रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1919 / 1क,ख, 1919 / 2क, ख, 1919 / 1,3क,ख, 1920 / 1, 2, 1924 / 2 क,ख	0.770	07.09.2001 से 06.09.2011
2	श्री कृष्णा ग्रामोद्योग.प्रो. श्री अनिल केडिया, आ. श्री नरसिंग लाल केडिया निवासी सत्तीगुडी चौक रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1922 / 3	0.449	28.12.2001 से 27.12.2011
3	श्री जगदम्बा ग्रामोद्योग प्रो. श्री सुरेश कुमार आ. श्री तनसुख राय निवासी सत्तीगुडी चौक रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	944 / 1	0.625	28.12.2001 से 27.12.2011
4	राधेग्रामोद्योग प्रो. श्री संजय अग्रवाल आ. श्री राधेश्याम अग्रवाल नि. गांधीगंज रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1824, 1831, 1832 / 1क, ग, 2036 / 1	0.317	14.03.2002 से 13.03.2012
5	कामेश ग्रामोद्योग प्रो. सुन्दरमणी आ. श्री गणेश राम पटेल टिमरलगा,रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	692 / 2, 693 / 1, 785 / 2, 791 / 2, 792 / 2, 794 / 1, 2, 790, 793	2.114	30.05.2003 से 29.05.2013

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
6	माँ नाथलदाई कशर उद्योग प्रो.श्री शिव कुमार अग्रवाल आ.श्री बजरंग लाल अग्रवाल नि. चन्द्रपुर	चूनापत्थर	टिमरलगा	1304/1,1304 /2,1211	0.440	28.01.2010 से 27.01.2015
7	मेसर्स शिवम मिनरल्स प्रो. श्री राजेश्वर प्रसाद पटेल आ. श्री नरसिंग पटेल, निवासी टिमरलगा	चूनापत्थर	टिमरलगा	680, 681, 682, 683, 684	0.405	23.12.2010 से 22.12.2015
8	श्री मनोज कुमार सिंह आ. श्री कपिल देव सिंह, निवासी टिमरलगा	चूनापत्थर	टिमरलगा	1496, 1497, 1507	0.631	अनुबंध पत्र निष्पादन की कार्यवाही प्रचलित
9	शिव शंकर ग्रामोद्योग प्रो. श्री अविनाश कुमार सिंघानिया, नि. लालटकी रोड़ रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	953, 954/3, 954/1,954/5, 951/2, 950/2	0.950	25.11.2010 से 24.11.2015
10	जय अम्बे कशर उद्योग प्रो श्री अजय अग्रवाल आ. स्व. श्री ईश्वर अग्रवाल, नि. आई.टी.आई.कालोनी खरसियां	चूनापत्थर	टिमरलगा	894, 895/1	0.864	01.06.2006 से 31.05.2011
11	महामाया ग्रामोद्योग प्रो. श्री श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नि श्री पवन अग्रवाल, नि. सारंगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1149/1,2, 1150/1,2, 1151/1,2, 1153, 1176	0.611	30.06.2006 से 29.06.2011
12	केजडीवाल कशर उद्योग प्रो. श्री मोन्टी केजडीवाल आ. श्री नरेश केजडीवाल, नि. सारंगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	840	0.216	30.06.2006 से 29.06.2011
13	श्री दीपक अग्रवाल आ. श्री नान्हू राम अग्रवाल, निवासी रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	933, 942, 882, 883/1, एवं 883/2	0.898	14.07.2006 से 14.07.2011
14	श्री विजय कुमार शाह आ. श्री आर. एन. प्रसाद, नि. रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	टिमरलगा	1154, 1155, 1164, 1165	0.543	25.07.2006 से 24.07.2011
15	श्री मनोज सिंघानिया आ. श्री मनीराम सिंघानिया नि. लोचन नगर रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1134/1ड., 1134/1च, 1134/3, 1177, 1178	0.578	03.08.2006 से 02.08.2011
16	गणपति ग्रामोद्योग प्रो. श्री पंकज अग्रवाल आ. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल नि. दानीपारा रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	937/1, 938, 939	0.635	25.07.2006 से 24.07.2011
17	श्री गोविंद शर्मा आ. स्व. श्री दुलीचन्द्र शर्मा नि. लक्ष्मी कृपा भवन जिन्दल चौक रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1918/1, 1918/3	0.451	18.07.2006 से 17.07.2011
18	माँ नाथलदाई कशर उद्योग प्रो. श्री शिवकुमार अग्रवाल आ. श्री बजरंग लाल अग्रवाल नि. चन्द्रपुर तह. डभरा जिला. जाजंगीर चांपा	चूनापत्थर	टिमरलगा	1146 व, 1147/1, 1148/1, 1146 व 1147/2, 1148/2	0.720	08.08.2006 से 07.08.2011

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
19	मेसर्स राधेग्रामोद्योग प्रो. श्री संजय बोदिया आ. श्री राधेश्याम बोदिया नि. गांधी गंज रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1134/1व, 1ज, एवं 1134/1ज	1.173	14.07.2006 से 13.07.2011
20	मेसर्स सरस्वती मिनरल्स प्रो. श्री निखिल अग्रवाल आ. सी दिनेश अग्रवाल नि. गांधी गंज रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1071/1, 1071/2, 1072/1, 1072/2, 1132/1	0.486	30.06.2006 से 29.06.2011
21	श्याम लाल अग्रवाल आ. स्व. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल नि. कोतरा रोड रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1134/1छ	0.573	19.12.2006 से 18.12.2011
22	गणपति ग्रामोद्योग प्रो. बिनोद कुमार बंसल आ. श्री शम्भू राम बंसल निवासी केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1135/1,2,1136, 1138,1139/1, 2,1157,1158/1,2	0.826	20.11.2006 से 19.11.2011
23	गणपति मिनरल्स प्रो. श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल पत्नि श्री सुभाष अग्रवाल, निवासी विकास नगर रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1134/13, 1134/10, 1134	0.648	12.12.2006 से 11.12.2011
24	जय मां बंजारी ग्रामोद्योग प्रो. श्री संजय अग्रवाल आ. श्री परमानंद अग्रवाल निवासी- रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1159, 1160/1, 1160/2, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1162 एवं 1163	0.583	12.12.2006 से 11.12.2011
25	श्री अविनाश अग्रवाल आ. श्री मुरारी लाल अग्रवाल निवासी -चक्रधर नगर दुर्गा मंदिर के पास रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1134/17, 1134/1ग, 1145/1क, 1145/1ख, 1145/2ग, 1136/1, 1136/2	0.515	07.12.2006 से 06.12.2011
26	श्री प्रदीप अग्रवाल आ. महावीर प्रसाद अग्रवाल, नि. सुभाष चौक रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1049/3, 21,4, 13,1039/4	0.748	03.04.2006 से 02.04.2011
27	गौरव मिनरल्स प्रो श्री दीपक अग्रवाल आ. श्री मोहन लाल अग्रवाल निवासी राम निवास टॉकिज रोड रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	893, 896/1	0.559	30.06.2009 से 29.06.2014
28	मेसर्स मंगल स्टोन प्रो. श्रीमती कमला देवी अग्रवाल निवासी इतवारी बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	997	0.441	11.11.2009 से 10.11.2014
29	श्रीमती सीमा अग्रवाल पति श्री कमल कुमार अग्रवाल नि. सदर बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1141/1 एवं 1149/1	0.353	19.12.2008 से 18.12.2013

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
30	श्री संतोष कुमार अग्रवाल आ. श्री पहलाद राय अग्रवाल निवासी सदर बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2, 1140/3 एवं 1156	0.785	अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही प्रचलित
31	श्रीमती कविता अग्रवाल निवासी फ्रेन्ड्स कोलोनी रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	898/1,898/3, 898/2,899/1, 899/2क, 899/2ख, 899/3,898/4 एवं 898/4	0.781	22.01.2011 से 21.02.2021
32	श्रीमती नीतू बापोडिया प्रो. बापोडिया ग्रामोद्योग	चूनापत्थर	टिमरलगा	1787	0.652	अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही प्रचलित
33	श्रीमती लता अग्रवाल पति श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल निवासी प्रतापगंज सारंगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	818 एवं 827	0.405	27.12.2010 से 26.12.2020
34	श्रीमती राधा बंसल पति श्री विष्णु बंसल निवासी गांधी गंज रायगढ़	चूनापत्थर	टिमरलगा	826/9,827/2 2, 828/3	0.528	अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही प्रचलित
35	श्रीराज ग्रामोद्योग प्रो. श्री रोशनी देवी अग्रवाल पति श्री भीमसेन अग्रवाल निवासी इतवारी बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	5861	0.650	17.12.2009 से 16.12.2014
36	श्रीमती श्यामादेवी बेरीवाल पति श्री वासुदेव बेरीवाल निवासी दानीपारा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	552 /2क, ख	0.405	12.06.2002 से 11.06.2012
37	अशोक कुमार अग्रवाल आ. भगवान दास अग्रवाल निवासी बृदावन कालोनी रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	272 /2, 4	0.255	31.10.2002 से 30.10.2012
38	राधिका कशर उद्योग प्रो. सीतादेवी बंसल पति श्री सागरमल बंसल निवासी कोतरा रोड रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	383 /1क ख, 383 /2ग	0.900	20.06.2003 से 19.06.2013
39	श्री बुधराम बंजारे आ. श्री मंगल दास बंजारे निवासी रामभाटा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	414	0.242	30.08.2003 से 29.08.2013
40	सारंगढ़ कशर उद्योग प्रो. श्रीमती सरिता अग्रवाल पति श्री नंदकिशोर अग्रवाल, नि सारंगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	463/1	0.324	26.07.2010 से 25.07.2015
41	विनायक स्टोन कशर उद्योग प्रो. श्रीमती वर्षा बंसल पति श्री सुशील बंसल, नि. रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	351/4,352/1 .4,5 एवं 353/4क,ख	0.600	25.11.2010 से 24.11.2020
42	सरोज कशर उद्योग प्रो. श्रीमती सरोज झा पति श्री अमरकांत झा, नि. गुजराती पारा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	315/3, 315/2	0.198	03.04.2006 से 02.04.2011

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
43	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल आ. स्व. श्री परसराम अग्रवाल, निवासी नया गंज रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	516/4	0.342	03.04.2007 से 02.04.2012
44	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय आ. श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी चक्रधर नगर बंगलापारा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	560	0.409	03.04.2007 से 02.04.2012
45	राजीव भूषण पाण्डेय आ. श्री बृजभूषण पाण्डेय निवासी बडे मठ पारा सारंगढ़, तहसील सारंगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	251 -252-253 एवं 250	1.380	19.12.2008 से 18.12.2010 (नवीनीकरण प्रकरण संचालनालय में विचाराधीन)
46	श्री संतोष कुमार जायसवाल आ. श्री नान्दूराम जायसवाल निवासी गुडेली	चूनापत्थर	गुडेली	584	0.737	05.06.2009 से 04.06.2014
47	मेसर्स प्रगति केशर उद्योग प्रो. श्री संजय कुमार अग्रवाल आ. श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी पराना सदर बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	363/1,364/2, 372/2,360/1, 360/2ख, 360/1ग, 360/घ, 348/2ख, 348/3	1.023	23.06.2010 से 22.06.2020
48	श्रीमती सुशीला रतेरिया पति स्व. गौरीशंकर रतेरिया निवासी सुभाष चौक रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	347/2, 362/1, 3, 364/1, 366/2, 365/1	1.234	23.06.2010 से 22.06.2020
49	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स प्रो. श्री अमित कुमार अग्रवाल निवासी गांधीगंज रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	527/1,523/1 3, 527/7, 5, 9, 8, 4, 5, 524, 528/14, 527/6, 2, 528/6, 521, 523/2,	1.321	15.06.2010 से 14.06.2020
50	हनुमान प्रसाद अग्रवाल आ. स्व. रामस्वरूप अग्रवाल निवासी गोडम	चूनापत्थर	गुडेली	491/1, 497/2	0.710	24.06.2010 से 23.06.2020
51	श्रीराज ग्रामोद्योग प्रो. श्री रोशनी देवी अग्रवाल निवासी इतवारी बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	417, 418/1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12	0.547	27.07.2010 से 26.07.2020
52	मेसर्स एस.एस. मिनरल्स प्रो. श्री श्याम लाल अग्रवाल निवासी लालटंकी के पास रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	386, 387/2क, 387/2ख, 385/1ख, 396/2ग, 396/2घ	2.349	31.08.2010 से 30.08.2020
53	मेसर्स शुभ मिनरल्स पार्ट. श्री बसन्त कुमार अग्रवाल निवासी कबीर चौक रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	539/1, 2, 442/1, 2, 6	0.917	18.08.2010 से 17.08.2020

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
54	मा भवानी मिनरल्स प्रो. श्री विनय कुमार गुप्ता आ. स्व. श्री रामनिवासी गुप्ता निवासी थाना रोड रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	259/2ख, 259/1ख, 259/1घ, 261/1ड. एवं 261/2ख	1.232	30.09.2010 से 29.09.2020
55	श्री राम प्रताप साहू आ. रेशम लाल साहू निवासी गोडम	चूनापत्थर	गुडेली	495/1.590/1, 509/1.470/5, 495/2.495/3	0.958	अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही प्रचलित
56	श्रीमती रश्मी अग्रवाल पति पंकज अग्रवाल निवासी दानीपारा रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	128/2ख	2.153	20.10.2010 से 19.10.2020
57	मेसर्स जगदम्बा स्टील एण्ड पावर लिमि. डाय. श्री बालमुकुन्द अग्रवाल निवासी सत्तीगुडी चौक रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	66/1, 2, 67/1, 2, 3, 4, 6 69/2, 70/1-80/1, 2, 83/3, 68, 215/1क, 416/2, 375/1ख, 376, 413	2.454	30.10.2010 से 29.10.2020
58	मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक प्रो. श्री विवेक अग्रवाल निवासी खरसिया	चूनापत्थर	गुडेली	128/2क	0.825	20.10.2010 से 19.10.2020
59	श्रीमती मधु अग्रवाल पति श्री सुशील कुमार अग्रवाल निवासी प्रतापगंज सारंगढ़ जिला रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	501, 504 एवं 505	0.670	27.12.2010 से 26.12.2020
60	श्रीमती रुबी अग्रवाल पति श्री नवीन अग्रवाल निवासी सारंगढ़, जिला रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	505 एवं 506	0.620	27.12.2010 से 26.12.2020
61	श्रीमती सीमा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल निवासी गांधी गंज रायगढ़	चूनापत्थर	गुडेली	393/2क, 393/2ख, 393/2ग, 393/2घ	0.1056	19.12.2008 से 18.12.2013
62	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल आ. श्री चैतराम अग्रवाल नि.टिमरलगा	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	87/2, 428/1, 429/1.431/1, 432/1.432/3	0.976	18.02.2010 से 17.02.2015
63	श्रीमती प्रेमलता गोयल पति श्री मदन लाल गोयल निवासी चन्द्रपुर जिला जांजगीर	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	432/1.432/3, 431/1	0.976	18.02.2010 से 17.02.2015
64	सारंगढ़ क्रशर उद्योग प्रो. नंद किशोर अग्रवाल आ. श्री मोहन लाल अग्रवाल निवासी सारंगढ़	चूनापत्थर	सेन्दुरस(गुडेली)	81 /1, 81/5क,ख	0.664 हे.	11.02.2002 से 10.02.2012
65	मॉ चन्द्रहासिनी क्रशर उद्योग प्रो. श्रीमती शशि अग्रवाल पति श्री राजेश अग्रवाल निवासी स्टेडियम के पास रायगढ़	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	97	0.790	04.08.2003 से 03.08.2013

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
66	राज कुमार अग्रवाल आ. श्री छलूराम अग्रवाल नि. गोडम	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	91.87/2	0.976	18.02.2010 से 17.02.2015
67	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल आ. राम अवतार अग्रवाल, नि सारंगढ़	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	81/1, 81/2, 81/9	0.416	16.12.2010 से 15.12.2020
68	मेसर्स राज मिनरल्स प्रो. श्री कलाश चंद अग्रवाल निवासी इतवारी बाजार रायगढ़	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	71/1क/2, 71/2, 71/2ख	0.633	27.07.2010 से 26.07.2020
69	श्री संजय पटेल आ. श्री विजय सिंह पटेल निवासी टिमरलगा	चूनापत्थर	सेन्दुरस (गुडेली)	70-80/2क, 70-80/2ख, 79/2ख-82/4, 81/2ख, 81/3ख	0.774	29.09.2008 से 28.09.2013
70	श्री श्याम मिनरल्स प्रो. श्री दीपक सिंघल निवासी रायगढ़	चूनापत्थर	सरसरा (गुडेली)	128/3, 128/3	2.250	15.06.2010 से 14.06.2020
71	श्रीमती सीमा केडिया पति श्री महेश कुमार केडिया निवासी रामनिवास टॉकिज रोड रायगढ़	चूनापत्थर	सरसरा (गुडेली)	127-129/1क, 127-129/1ड, 127-129/1छ	1.619	06.12.2010 से 05.12.2020

परिशिष्ट "पन्द्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1916) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बिलासपुर जिले के लोरमी विकासखंड में निर्माण हो चुके
10 नलजल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

क.	योजना का नाम	जनसंख्या 2001 की जनगणना अनुसार	पानी टंकी का निर्माण पूर्ण/अपूर्ण	योजना की स्थिति	11 फरवरी 2010 की स्थिति में जल प्रदाय चालू/बंद	बंद का कारण	स्थापित हैण्डपंपों की संख्या
1	2	3	5	6	7	8	9
1	गोड़खाम्ही	2673	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	चालू		11
2	डिंडौरी	2681	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	पाईप लाइन में लिकेज	22
3	झाफल	2937	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	विद्युत देयक बकाया	23
4	सारघा	3023	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	चालू		15
5	अखरार	2650	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	चालू		18
6	अमलीडीह	2568	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	मोटर पंप खराब	26
7	साल्हेघोरी	2240	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	चालू		16
8	हरदीखेकतरा	1671	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	पैनल बोर्ड खराब एवं पाईप लाइन में लिकेज	11
9	करन कापा	1307	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	नलकूप में मोटर पंप फँसने के कारण स्रोत अनुपयोगी	9
10	कोदवामहत	1179	पूर्ण	योजना पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा संचालित	बंद	पाईप लाइन क्षतिग्रस्त	10

अतारांकित प्रानोत्तर से संबधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारांकित प्रान संख्या 01 (क. 566) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में निर्माण किये गये उपकेन्द्रों की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	ग्राम का नाम	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता (एम. व्ही. ए. में)	उपकेन्द्र निर्माण की लागत (लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2007-08	1. कोटगढ़	1X3.15	97.14
2.	2008-09		निरंक	
3.	2009-10	2. पहरिया 3. तरौद	1X3.15 2X3.15	122.60 172.46
4.	2010-11 (25-02-2011 तक)		निरंक	

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारंकित प्र न संख्या 03 (क. 1001) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 01-02-2011 की स्थिति में विद्युत पम्प कनेक्शनों एवं कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाए जाने के लंबित कार्य की विकासखण्डवार संख्या

क्र.	विकासखण्ड का नाम	विस्तार कार्य हेतु लंबित पम्पों की संख्या	ट्रांसफार्मर लगाए जाने हेतु लंबित पम्पों की संख्या	उक्त विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु प्रस्तावित ट्रांसफार्मर की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बम्हनीडीह	15	07	01
2.	बलौदा	44	0	0
3.	नवागढ़	20	03	01
4.	अकलतरा	22	0	0
5.	पामगढ़	14	04	01
6.	सक्ती	42	16	04
7.	जैजैपुर	121	56	08
8.	मालखरौदा	127	21	05
9.	डभरा	190	115	15
कुल		595	222	35

परिशिष्ट “अट्टारह ”

[अतारंकित प्र न संख्या 04 (क. 1002) के भाग (ख) की जानकारी]

गौण खनिज की रायल्टी राशि के ब्याज की राशि से कराये गये कार्यों का विवरण

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चिलखरौदा	चिलखरौदा से बोराई नदी पुल तक डस्ट बिछाई का कार्य.	2.77
2.	ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा बस स्टैण्ड से राम मंदिर तक डस्ट बिछाई	1.81
3.	हरेठीकला	हरेठीकला तालाब से सिदार मोहल्ला तक डस्ट बिछाई कार्य	1.21
4.	जैजैपुर	जैजैपुर मुख्य मार्ग से गंजपारा तक डस्ट बिछाई का कार्य.	1.70
5.	हरेठीकला	हरेठीकला मुख्य मार्ग एवं हरिजन मोहल्ला में डस्ट बिछाई कार्य.	3.10
6.	मौहाडीह	मौहाडीह तालाब के पास मार्ग में डस्ट बिछाई कार्य	0.36
7.	ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा हनुमान मंदिर से नहर तक डस्ट बिछाई कार्य.	0.69
8.	ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा बस स्टैण्ड से समलाई सकिर तक डस्ट बिछाई कार्य.	1.38

परिशिष्ट “उन्नीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 1457) के भाग (ख) की जानकारी]

अवैध उत्खनन कर्त्ताओं का नाम

वित्तीय वर्ष (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	क्रमांक (3)	अवैध उत्खननकर्ता का नाम (4)	उत्खनन स्थल का नाम (5)
2009-10	मालखरौदा	1.	गोपी आत्मज रामे वर सतनामी निवासी कुलबा.	कुलबा
	डभरा	1.	मुरलीधर आत्मज जीवराखन निवासी बरतुंगा.	बरतुंगा
		2.	गौरी अग्रवाल आत्मज हनुमान अग्रवाल निवासी फगुरम	फगुरम
		3.	नरेन्द्र आत्मज चन्द्र विजय गबेल निवासी सारसकेला.	सारसकेला
		4.	रेवती नंदन आत्मज कृष्णा दान निवासी बोड़ासागर.	बोड़ासागर
2010-11 (24 फरवरी 2011 तक की स्थिति में)	मालखरौदा	1.	निरंक	निरंक
	डभरा	2.	निरंक	निरंक

परिषद् "बीस"

[अतारकित प्र न संख्या 08 (क. 1487) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र का नाम :- आरंग

क्र.	वि. खं.	जिस ग्राम में तालाब स्थित (ग्राम का नाम)	हितग्राही का नाम	लीज पट्टे पर दिये गए भासकीय तालाब का नाम	रकबा (हेक्ट.)	वार्षिक लीज रशि रु.	पट्टा अवधि वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	1. गस्ताही डबरी	1.08	5500.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	2. ठाकुर दिया तालाब	2.52	3500.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	3. हथमार तालाब	2.36	2000.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	4. खरखरा तालाब	2.25	3000.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	5. खल्लारी डबरी	1.67	1500.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	6. नया तालाब	1.57	1800.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	7. गुढियारी तालाब	2.32	2300.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	8. झरमला तालाब	13.32	4100.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	9. दत्तयया तालाब	2.94	2300.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	10. बड़े घोघाई	2.44	2800.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	11. पड़री तालाब	2.73	1500.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	12. कैथा तालाब	5.68	1000.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	13. महामाया तालाब	4.40	700.00	05 वर्ष
	आरंग	आरंग	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति आरंग	14. रनविहार तालाब	5.30	950.00	05 वर्ष
2.	आरंग	करमदी	श्री बालाराम केंवट	1. गांव तालाब	0.60	2000.00	05 वर्ष
3.	आरंग	अछोली	श्री बबलू ध्रुव	1. नया तालाब	0.70	500.00	05 वर्ष
4.	आरंग	भंडारपुरी	बजरंग मछुआ सहकारी समिति	1. खमरिया तालाब	6.50	3500.00	05 वर्ष
5.	आरंग	कर्मा	श्री रामजी केंवट	1. टडमा तालाब	1.00	300.00	05 वर्ष
6.	आरंग	छतौना	महामाया मत्स्य सहकारी समिति फरफौद	1. सरकदेवा तालाब	0.581	550.00	05 वर्ष
	आरंग	छतौना	महामाया मत्स्य सहकारी समिति फरफौद	2. ढोगिया तालाब	0.914	850.00	05 वर्ष
	आरंग	छतौना	महामाया मत्स्य सहकारी समिति फरफौद	3. ब्रमदईया तालाब	0.611	3500.00	05 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	आरंग	कुरुद	श्री द ।रथ ढीमर	झरमला तालाब	0.75	300.00	05 वर्ष
8.	आरंग	भानसोज	श्री केजउ सतनामी	1. धोबिनिन तालाब	1.00	1500.00	05 वर्ष
9.	आरंग	भानसोज	भीतला देवी मत्स्य सह. समिति आरंग	2. नैय्या तालाब	4.50	9100.00	05 वर्ष
	आरंग	फरफौद	महामाया मत्स्य सहकारी समिति फरफौद	1. नैय्या तालाब	11.58	15300.00	07 वर्ष
10.	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	1. परबनाधिया तालाब	1.05	1500.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	2. छेछाही तालाब	1.82	500.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	3. राजा तालाब	2.78	1500.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	4. गोडहरिया तालाब	5.04	4100.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	5. बंधवा तालाब	19.37	11300.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	6. तेली तरिया	2.76	2900.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	7.तेदुवाही तालाब	2.47	2400.00	07 वर्ष
	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	8. पनखतिया तालाब	7.50	9100.00	07 वर्ष
11.	आरंग	गुल्लू	प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति गुल्लू	1. बंधवा तालाब	38.375	24700.00	07 वर्ष
12.	आरंग	रीवा	ढीमर मछुआ सहकारी समिति रीवा	1. सेधवा डबरी	0.583	500.00	07 वर्ष
13.	आरंग	नारा	श्री नरे । ढीमर	2. बंधवा तालाब	7.58	8000.00	07 वर्ष
14.	आरंग	नारा	श्री साधुराम ढीमर	1. पनखतिया तालाब	1.029	1400.00	07 वर्ष
15.	आरंग	खुटेरी	श्री भौकत अली	1. बंधिया तालाब	3.825	1500.00	07 वर्ष
	आरंग	गोढ़ी	श्री भवेता मत्स्य सहकारी समिति	2. नया तालाब	2.50	2000.00	07 वर्ष
	आरंग	गोढ़ी	श्री भवेता मत्स्य सहकारी समिति	3. डबरी	1.75	1100.00	07 वर्ष
	आरंग	गोढ़ी	श्री भवेता मत्स्य सहकारी समिति	1. बंधवा तालाब	2.52	1600.00	07 वर्ष
16.	आरंग	चोरभट्टी	श्री हिनझा राम सतनामी	2. घोधिया तालाब	1.29	1350.00	07 वर्ष
17.	आरंग	चोरभट्टी	श्री पुरुशोत्तम सतनामी	1. जोगिनी तालाब	1.83	1500.00	07 वर्ष
18.	आरंग	चोरभट्टी	श्री देवचरण सतनामी	1. नया तालाब	0.50	20000.00	07 वर्ष
19.	आरंग	कुरुद (कुटेला)	ढीमर मछुआ सहकारी समिति अकोलीकला	2. पनखल्ली तालाब	1.58		07 वर्ष
	आरंग	अकोलीकला	ढीमर मछुआ सहकारी समिति अकोलीकला	3. उडखुनिया तालाब	0.98		07 वर्ष
	आरंग	अकोलीकला	ढीमर मछुआ सहकारी समिति अकोलीकला	4. सराद तालाब	0.54		07 वर्ष
	आरंग	अकोलीकला	ढीमर मछुआ सहकारी समिति अकोलीकला	1. पचरिया तालाब	2.10	3600.00	07 वर्ष
20.	आरंग	भैसा	श्री मिलन ढीमर	2 पैठू तालाब	2.64	3600.00	07 वर्ष
21.	आरंग	भैसा	श्री संतोश कुमार सतनामी				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	आरंग	मुो र	श्रीमति भाकुन वर्मा	1. दर्ी तालाब	1.74	900.00	07 वर्ष
	आरंग	नरदाहा	श्रीमति भाकुन वर्मा	1. अमहा तालाब	3.26	11250.00	07 वर्ष
	आरंग	नरदाहा	श्रीमति भाकुन वर्मा	2. दोसका तालाब	2.24		07 वर्ष
	आरंग	नरदाहा	श्रीमति भाकुन वर्मा	3. चंडी तालाब	1.73		07 वर्ष
	आरंग	नरदाहा	श्रीमति भाकुन वर्मा	4. सुक्लाईन तालाब	2.55		07 वर्ष
	आरंग	नरदाहा	श्रीमति भाकुन वर्मा	5. अधवा डबरी	1.41		07 वर्ष
23.	आरंग	खिधारी	छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समिति	1. लच्दी बंध तालाब	8.26	12000.00	07 वर्ष
24.	आरंग	चपरीद	श्री हिनझा राम सतनामी	1. बंधवा तालाब	2.08	2100.00	07 वर्ष
25.	आरंग	अमोदी	श्री ईतवारी राम ढीमर	1. दर्ी तालाब	3.28	3000.00	07 वर्ष
26.	आरंग	अमोदी	श्री पुरु राम ढीमर	2. नकटा तालाब	3.32	4500.00	07 वर्ष
27.	आरंग	अमोदी	स्व-सहायता समूह	3. खम्हा तालाब	1.12	6000.00	07 वर्ष
28.	आरंग	संकरी	श्री मत्र राम ढीमर	1. नया तालाब	1.08	4300.00	07 वर्ष
29.	आरंग	बरछा	श्री ि व कुमार सतनामी	1 पुरईन तालाब	1.53	3900.00	07 वर्ष
30.	आरंग	पघेरा	दुर्गा स्व-सहायता समूह	1. मोतीबंद	0.44	2500.00	07 वर्ष
	आरंग	पघेरा	दुर्गा स्व-सहायता समूह	2. ठाकुरदिया तालाब	0.66	2500.00	07 वर्ष
31.	आरंग	बाहनाकाडी	श्री ई वर लाल ढीमर	1. मंगन डबरी	0.89	7300.00	07 वर्ष
32.	आरंग	खमतराई	श्री बिसन लहरी	1. परसाईही	5.02	7500.00	05 वर्ष
33.	आरंग	खमतराई	श्री उत्तम साहू	2. नयातालाब	2.41	17900.00	07 वर्ष
34.	आरंग	खमतराई	श्री ि व कुमार ढीमर	3. बांधा तालाब	7.78	7500.00	07 वर्ष
35.	आरंग	खमतराई	महामाया समहित समूह	4. डबरी तालाब	1.02	6500.00	07 वर्ष
36.	आरंग	खमतराई	वासुदेव समहित समूह	5. पनखल्ली तालाब	3.18	7000.00	07 वर्ष
37.	आरंग	कोरासी	श्री संतु राम ढीमर	1. बंगधरा तालाब	2.92	9000.00	07 वर्ष
38.	आरंग	कोरासी	श्री हेमनाथ बंजारे	2. झीनहा तालाब	1.47	5000.00	07 वर्ष
39.	आरंग	कोरासी	श्री संतु राम सतनामी	3. रतवा तालाब	6.18	13000.00	07 वर्ष
40.	आरंग	कोरासी	श्री बिसहूआ ढीमर	4. धनडोगिया	1.60	5000.00	07 वर्ष
41.	आरंग	कोरासी	श्री कमल दास सतनामी	5. अमहा तालाब	1.72	7000.00	07 वर्ष
42.	आरंग	देवर तिल्दा	श्री दादूराम ढीमर	1. दर्ी तालाब	1.32	11000.00	07 वर्ष
43.	आरंग	देवर तिल्दा	श्री समल्लि ढीमर	2. बंगधरा तालाब	1.16	2500.00	07 वर्ष
44.	आरंग	काकदेही	श्री महादेव ढीमर	1. गांव तालाब	1.80	1300.00	07 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	आरंग	कुसमुंद	श्री भांकर देवार	1. नया तालाब	1.34	1950.00	07 वर्ष
46.	आरंग	कुसमुंद	श्री वि ा डीमर	2. गांव तालाब	1.21	5000.00	07 वर्ष
47.	आरंग	कुसमुंद	श्री राजू धुवे	3. अड़बंधा तालाब	8.38	10500.00	07 वर्ष
48.	आरंग	समोदा	श्री पुरुशोत्तम डीमर	1. नया तालाब	1.42	8300.00	07 वर्ष
49.	आरंग	समोदा	श्री मेहत्तर डीमर	2. नकटा तालाब	0.60	830.00	07 वर्ष
50.	आरंग	समोदा	स्व-सहायता समूह	3. गांव तालाब	1.85	1800.00	07 वर्ष
51.	आरंग	हरदी	स्व-सहायता समूह	1. गांव तालाब	1.12	6400.00	07 वर्ष
52.	आरंग	चकवे	श्री ि व कुमार डीमर	1. बड़े तालाब	9.80	6400.00	07 वर्ष
53.	आरंग	परसवानी	स्व-सहायता समूह	1. पनखत्ती तालाब	1.54	1600.00	07 वर्ष
54.	आरंग	घोड़भठठी	भीतला स्व-सहायता समूह	1. पैटू तालाब	1.25	2500.00	07 वर्ष
55.	आरंग	घोड़भठठी	स्व-सहायता समूह	2. तेली तालाब	1.24	3900.00	07 वर्ष
56.	आरंग	भैसमुढी	स्व-सहायता समूह	1. बड़े तालाब	3.69	4500.00	07 वर्ष
57.	आरंग	भैसमुढी	स्व-सहायता समूह	2. बावली तालाब	2.38	4000.00	07 वर्ष
58.	आरंग	कुलीपोटा	स्व-सहायता समूह	1. बस्ती तालाब	1.80	1700.00	07 वर्ष
59.	आरंग	डूमहा	स्व-सहायता समूह	1. बस्ती तालाब	1.56	4000.00	07 वर्ष
60.	आरंग	सेजा	श्री मनराखन ध्रुव	1. पनखत्ती तालाब	1.11	4300.00	07 वर्ष
61.	आरंग	कोडापार	स्व-सहायता समूह	1. बुढ़वा तालाब	4.60	9700.00	07 वर्ष
62.	आरंग	धोवभठठी	स्व-सहायता समूह	1. बस्ती तालाब	1.23	2400.00	07 वर्ष
63.	आरंग	खोर्सी	स्व-सहायता समूह	1. नया तालाब	1.47	1300.00	07 वर्ष
64.	आरंग	मजिठा	स्व-सहायता समूह	1. पनखतिया तालाब	0.90	2900.00	07 वर्ष
65.	आरंग	भटिया	स्व-सहायता समूह	1. पनखतिया तालाब	2.84	1800.00	07 वर्ष
66.	आरंग	लांजा	स्व-सहायता समूह	2. मरघटिया तालाब	1.73	9100.00	07 वर्ष
67.	आरंग	खु र्सी	श्री पुसळ डीमर	1. सिरसाही तालाब	1.11	11500.00	07 वर्ष
68.	आरंग	खु र्सी	श्री हीरालाल डीमर	2. नया तालाब	1.37	12800.00	07 वर्ष
69.	आरंग	खु र्सी	श्री उत्तम साहू	3. बंधवा तालाब	4.31	38400.00	07 वर्ष
70.	आरंग	घूमा	स्व-सहायता समूह	1. जुना तरिया	2.67	5300.00	07 वर्ष
71.	आरंग	घोट	स्व-सहायता समूह	1. डबरी तालाब	1.43	21000.00	07 वर्ष
72.	आरंग	परसकोल	स्व-सहायता समूह	कलार डबरी	11.15	41000.00	07 वर्ष
73.	आरंग	बाना	स्व-सहायता समूह	माई तालाब	1.54	10000.00	07 वर्ष
74.	आरंग	बाना	स्व-सहायता समूह	दर्सी तालाब	1.45	9600.00	07 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75.	आरंग	बाना	स्व-सहायता समूह	पचरी तालाब	1.64	13600.00	07 वर्ष
76.	आरंग	बोरडा	श्री वि वनाथ वर्मा	लवन तालाब	2.18	4200.00	07 वर्ष
77.	आरंग	बोरडा	श्री अमन वर्मा	दर्सी डबरी	0.75	2000.00	07 वर्ष
78.	आरंग	मोथली	स्व-सहायता समूह	बंधवा तालाब	7.02	47000.00	07 वर्ष
79.	आरंग	मुनगी	महिला स्व-सहायता समूह	पुराना तालाब	1.92	29000.00	07 वर्ष
80.	आरंग	बैहार	स्व-सहायता समूह	पुजारी तालाब	1.47	6500.00	07 वर्ष
81.	आरंग	बैहार	स्व-सहायता समूह	बड़े तालाब	2.12	3700.00	07 वर्ष
82.	आरंग	पारागांव	मछुआरा समिति	ठाकुरदिया तालाब	0.98	3600.00	07 वर्ष
	आरंग	पारागांव	मछुआरा समिति	गांव तालाब	1.58	7200.00	07 वर्ष
	आरंग	पारागांव	मछुआरा समिति	ठडगुनिय तालाब	0.42	1300.00	07 वर्ष
83.	आरंग	रसनी	मछुआरा समूह	ताला तालाब	3.97	50000.00	07 वर्ष
	आरंग	रसनी	मछुआरा समूह	डोगिया तालाब	2.91		07 वर्ष
	आरंग	रसनी	मछुआरा समूह	धुमा तालाब	1.90		07 वर्ष
84.	आरंग	धनसुली	स्व-सहायता समूह	माई तालाब	2.24	5500.00	07 वर्ष
85.	आरंग	सेमरिया	स्व-सहायता समूह	छुहिया डबरी	0.84	12000.00	07 वर्ष
	आरंग	सेमरिया	स्व-सहायता समूह	बड़े तालाब	2.44		07 वर्ष
86.	आरंग	टोडगांव	स्व-सहायता समूह	सूखा तालाब	2.58	3800.00	07 वर्ष
87.	आरंग	टोडगांव	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	3.58	2000.00	07 वर्ष
88.	आरंग	नवागांव	श्री सेवाराम लहरी	देवरहा तालाब	1.29	2040.00	07 वर्ष
89.	आरंग	नवागांव	स्व-सहायता समूह	बड़े तालाब	1.72	13000.00	07 वर्ष
90.	आरंग	बगतरा	श्री सुदामा डीमर	दर्सी तालाब	2.28	13100.00	07 वर्ष
91.	आरंग	बगतरा	स्व-सहायता समूह	पनखतिया तालाब	5.06	23000.00	07 वर्ष
92.	आरंग	मालीडीह	स्व-सहायता समूह	पनखतिया तालाब	2.77	4300.00	07 वर्ष
93.	आरंग	कुटे र	स्व-सहायता समूह	पुरनिया तालाब	1.74	2200.00	07 वर्ष
94.	आरंग	कुटे र	स्व-सहायता समूह	दर्सी तालाब	2.58	2300.00	07 वर्ष
95.	आरंग	चारहाडीह	श्री रमे I डीमर	डबरी तालाब	0.29	450.00	07 वर्ष
96.	आरंग	बड़गांव	स्व-सहायता समूह	बंधवा तालाब	3.10	35000.00	07 वर्ष
97.	आरंग	बड़गांव	स्व-सहायता समूह	अहन बांधा	1.63	7900.00	07 वर्ष
98.	आरंग	बड़गांव	स्व-सहायता समूह	दसहा तालाब	1.96	14400.00	07 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
99.	आरंग	मुंगो र	स्व-सहायता समूह	राजा तालाब	2.99	24100.00	07 वर्ष
100.	आरंग	मुंगो र	स्व-सहायता समूह	बंगधरा तालाब	1.056	9800.00	07 वर्ष
101.	आरंग	चन्द्रखुरी	स्व-सहायता समूह	ठाकुरदिया तालाब	1.32	10500.00	07 वर्ष
102.	आरंग	चन्द्रखुरी	स्व-सहायता समूह	ढेलका डबरी	2.49	12200.00	07 वर्ष
103.	आरंग	चन्द्रखुरी	स्व-सहायता समूह	छिनहा तालाब	1.04	15300.00	07 वर्ष
104.	आरंग	चन्द्रखुरी	स्व-सहायता समूह	सिंगाही डबरी	0.35	3300.00	07 वर्ष
105.	आरंग	नगपुरा	स्व-सहायता समूह	बड़े तालाब	5.51	6400.00	07 वर्ष
106.	आरंग	जावा	श्री फेरहा डीमर	नया तालाब	1.51	3000.00	07 वर्ष
107.	आरंग	जावा	स्व-सहायता समूह	कन्हरवा तालाब	1.10	1800.00	07 वर्ष
108.	आरंग	दरबा	स्व-सहायता समूह	ताला तालाब	2.86	2600.00	07 वर्ष
109.	आरंग	दरबा	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	4.05	7600.00	07 वर्ष
110.	आरंग	राटाकांट	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	2.54	4600.00	07 वर्ष
111.	आरंग	बेनीडीह	स्व-सहायता समूह	बस्ती तालाब	4.52	3600.00	07 वर्ष
112.	आरंग	कुकरा	स्व-सहायता समूह	कुम्हार डबरी	0.73	4500.00	07 वर्ष
113.	आरंग	कुकरा	स्व-सहायता समूह	दर्दी तालाब	0.88	5800.00	07 वर्ष
114.	आरंग	टेकारी	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	1.00	5100.00	07 वर्ष
115.	आरंग	रानीसागर	स्व-सहायता समूह	बड़े तालाब	8.60	11000.00	07 वर्ष
116.	आरंग	जुगे र	स्व-सहायता समूह	नकटा तालाब	0.85	910.00	07 वर्ष
117.	आरंग	सोनपैरी	स्व-सहायता समूह	दर्दी तालाब	1.81	6100.00	07 वर्ष
118.	आरंग	सनडी	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	3.62	5900.00	07 वर्ष
119.	आरंग	अमसेना	स्व-सहायता समूह	खम्बा तालाब	3.41	4400.00	07 वर्ष
120.	आरंग	अमसेना	स्व-सहायता समूह	चंडी तालाब	2.48	7900.00	07 वर्ष
121.	आरंग	अमसेना	स्व-सहायता समूह	बंधवा तालाब	5.03	8200.00	07 वर्ष
122.	आरंग	खपरी	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	2.50	2500.00	07 वर्ष
123.	आरंग	मोहमेला	स्व-सहायता समूह	डबरी तालाब	1.50	1200.00	07 वर्ष
124.	आरंग	धिखली	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	2.50	15000.00	07 वर्ष
125.	आरंग	बनरसी	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	4.50	7900.00	07 वर्ष
126.	आरंग	रसौटा	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	1.00	1500.00	07 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
127.	आरंग	केसला	श्री बुधवा ढीमर	दर्री तालाब	2.50	3000.00	07 वर्ष
128.	आरंग	देवरी	स्व-सहायता समूह	दर्री तालाब	2.50	13000.00	07 वर्ष
129.	आरंग	गुखेरा	श्री चरण दास सतनामी	रानी डबरी	2.30	1500.00	07 वर्ष
130.	आरंग	धौराभाठा	श्री ई वर ढीमर	पचरी तालाब	2.50	1500.00	07 वर्ष
131.	आरंग	बोहारडीह	स्व-सहायता समूह	पनखत्ती तालाब	1.50	11500.00	07 वर्ष
132.	आरंग	परसट्टी	स्व-सहायता समूह	दर्री तालाब	2.80	9800.00	07 वर्ष
133.	आरंग	जरौद	स्व-सहायता समूह	पनखत्ती तालाब	3.50	11000.00	07 वर्ष
134.	आरंग	कलई	श्री िव कुमार ढीमर	दर्री तालाब	0.80	3500.00	07 वर्ष
135.	आरंग	घमराभाठा	श्री कैला I सतनामी	भाठा डबरी	0.75	3500.00	07 वर्ष
136.	आरंग	गुमा	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	1.00	13000.00	07 वर्ष
137.	आरंग	परसदा	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	2.50	9000.00	07 वर्ष
138.	आरंग	खपरी (मुनगी)	स्व-सहायता समूह	मझवा तालाब	4.48	9000.00	07 वर्ष
139.	आरंग	चटौद	स्व-सहायता समूह	खम्बा तालाब	4.60	7100.00	07 वर्ष
140.	आरंग	अमेठी	स्व-सहायता समूह	नईया तरिया	1.094	2700.00	07 वर्ष
141.	आरंग	कठिया	स्व-सहायता समूह	मतुआ तालाब	3.64	4600.00	07 वर्ष
142.	आरंग	खौली	स्व-सहायता समूह	डबरी तालाब	1.04	13100.00	07 वर्ष
143.	आरंग	गुदगुदा	स्व-सहायता समूह	डोगिया तालाब	1.04	2700.00	07 वर्ष
144.	आरंग	कागदेही	स्व-सहायता समूह	परबंघिया तालाब	2.65	12000.00	07 वर्ष
145.	आरंग	संकरी	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	1.50	2700.00	07 वर्ष
146.	आरंग	कुंडा	श्री मेहत्तर ढीमर	सिलयारी तालाब	0.73	4500.00	07 वर्ष
147.	आरंग	करही	स्व-सहायता समूह	दर्री तालाब	2.50	2300.00	07 वर्ष
148.	आरंग	घोरभठ्ठी	स्व-सहायता समूह	डबरी तालाब	0.50	2700.00	07 वर्ष
149.	आरंग	पिरदा	श्री द रू ढीमर	खरलारी डबरी	0.72	1000.00	07 वर्ष
150.	आरंग	खुर्सी	स्व-सहायता समूह	पनखत्तिया तालाब	2.84	1700.00	07 वर्ष
151.	आरंग	उमरिया	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	1.34	3500.00	07 वर्ष
152.	आरंग	नकटा	स्व-सहायता समूह	गांव तालाब	2.34	2700.00	07 वर्ष
153.	आरंग	गुजरा	श्री पकला सतनामी	नैय्या तालाब	3.068	800.00	07 वर्ष
154.	आरंग	गुजरा	श्री मोहन लाल धीवर	पनखत्तिया तालाब	1.380	4000.00	07 वर्ष
155.	आरंग	गुजरा	श्री अमोल केंवट	बेलबधुवा तालाब	3.896	4500.00	07 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
156.	आरंग	नरियरा	स्व-सहायता समूह	नया तालाब	0.785	2000.00	07 वर्ष
157.	आरंग	धमनी	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	भूतिही तालाब	0.740	4900.00	05 वर्ष
	आरंग	धमनी	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	जून्ना तालाब	3.047		05 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	परखतिया तालाब	1.275	5200.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	वाबली तालाब	0.299	400.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	पचरी तालाब	2.873	1000.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	नया तालाब	1.382	3400.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	खरखरा	0.202	400.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	खाल्हे तरिया	10.505	2500.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	छप्पर तरिया	4.892	1500.00	07 वर्ष
	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	धोबिनिन तालाब	0.806	500.00	07 वर्ष
158.	आरंग	परसदा	भोले मत्स्य सहकारी समिति परसदा	ओडिया डबरी	0.283	400.00	07 वर्ष
	आरंग	पालौद	बजरंग मत्स्य सहकारी समिति पालौद	पुरैना तालाब	2.300	2500.00	05 वर्ष
	आरंग	पालौद	बजरंग मत्स्य सहकारी समिति पालौद	जराहि तालाब	2.190	2500.00	05 वर्ष
159.	आरंग	मंदिरहसौद	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मंदिरहसौद	रायपुरही तालाब	8.538	47000.00	07 वर्ष
	आरंग	मंदिरहसौद	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मंदिरहसौद	दमौआ तालाब	1.441		07 वर्ष
	आरंग	मंदिरहसौद	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मंदिरहसौद	मतही तालाब	0.425		07 वर्ष
	आरंग	मंदिरहसौद	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मंदिरहसौद	सोनाई तालाब	2.262		07 वर्ष
	आरंग	मंदिरहसौद	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति मंदिरहसौद	पचरिया तालाब	1.228		07 वर्ष
तालाब संख्या 213					587.18	1317330	

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारंकित प्र न संख्या 10 (क. 1592) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सारंगढ़ एवं बरमकेला जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की संख्या आदि का विवरण जिनमें भौचालय निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई

वर्ष 2008-09

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या जहां राशि स्वीकृत की गई	आदेशित कार्यों की संख्या		पूर्ण कार्यों की संख्या	
			ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सारंगढ़	82	82	182	52	118
2.	बरमकेला	61	61	149	32	106
योग		143	143	331	84	224

वर्ष 2009-10

1.	सारंगढ़	44	44	3831	13	3486
2.	बरमकेला	54	54	5378	40	3265
योग		98	98	9209	53	6751

परिशिष्ट “बाईस ”

[अतारांकित प्र न संख्या 15 (क. 1694) के भाग (ख) की जानकारी]

सरगुजा जिले में संचालित भासकीय उद्यान नर्सरियों में दिनांक 31 जनवरी 2011 (वर्ष 2010-11) तक की स्थिति में व्यय की जानकारी निम्नानुसार है

क्रमांक	रोपणी का नाम	व्यय का विवरण (राशि ₹. में)				योग
		मजदूरी	अनुरक्षण	कार्यालयीन व्यय	अन्य व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अम्बिकापुर	111565	290500	—	3138	405203
2.	बतौली	90509	7000	—	1000	98509
3.	मैनपाट	18700	19554	—	2000	40254
4.	उदयपुर	26500	27000	—	3000	56500
5.	लखनपुर	46218	33543	—	5751	85512
6.	प्रेमनगर	18370	15708	—	1800	35878
7.	रामानुजनगर	28215	10085	—	—	38300
8.	सूरजपुर	15287	34127	—	—	49414
9.	प्रतापपुर	13230	51381	—	3601	68212
10.	भांकरगढ़	8491	34216	—	—	42707
11.	कुसमी	—	49810	—	—	49810
12.	रामानुजगंज	65180	19062	—	—	84242
13.	बलरामपुर	—	52795	—	—	52795
योग		442265	644781	—	20290	1107336

परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्र न संख्या 22 (क. 1879) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष	क्र.	विभाग	क्र.	व्यय राशि (लाख रुपयों में)	मद का नाम (व्यय का विवरण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2004-05	1.	वन विभाग	1.	3.02	वन सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा (वन सुरक्षा समिति के मद से व्यय)
2005-06	1.	वन विभाग	1.	1.37	वन सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा (वन सुरक्षा समिति के मद से व्यय)
2006-07	1.	वन विभाग	1.	1.26	वन सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा (वन सुरक्षा समिति के मद से व्यय)
	2.	खनिज विभाग	1	1.30	क्षतिग्रस्त बाडबेड़ा, वायर एवं लकड़ी के खंभे बदलकर चैनलिंग एंगेल, आयरन, सीमेंट पोल, सौर ऊर्जा एवं अन्य व्यवस्था.
2007-08	1.	वन विभाग	1.	1.47	वन सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा (वन सुरक्षा समिति के मद से व्यय)
			2.	0.65	(3877) क्षेत्रीय वन मण्डल 02 मजदूरी
	2.	खनिज विभाग	1	7.60	क्षतिग्रस्त बाडबेड़ा, वायर एवं लकड़ी के खंभे बदलकर चैनलिंग एंगेल, आयरन, सीमेंट पोल, सौर ऊर्जा, वायर, मेस, फैंसिंग लगाने एवं अन्य व्यवस्था.
2008-09	1.	वन विभाग	1	2.49	वन सुरक्षा समिति के मद से
			2.	1.35	(3943) वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास
	2.	खनिज विभाग	1	17.00	वायर, मेस, फैंसिंग लगाने
2009-10	1.	वन विभाग	1.	2.45	वन सुरक्षा समिति के मद से
			2.	2.52	(3877) क्षेत्रीय वन मण्डल 02 मजदूरी
	1.	खनिज विभाग	1	49.91	कैपिंग हट निर्माण हेतु

प्रपत्र "ब "

क्रमांक (1)	टोपो गीट क्रमांक (2)	अक्षांश-देशांतर (3)	क्षेत्रफल (4)	किम्बरलाईट पाईप के क्षेत्र का नाम (5)
1.	64 एल/4	20° 10' 00" : 20° 13' 45" 82° 09' 00" : 82° 15' 00"	38.81 वर्ग किमी	1 बेहराडीह 2 कुसुमबुरा 3 कोदोमाली 4 वाजाघाटी
2.	64 एल/8	20° 08' 00" : 20° 10' 45" 82° 09' 00" : 82° 22' 00"	15.75 वर्ग किमी	1 पायलीखण्ड 2 जांगड़ा

परिशिष्ट “चौबीस ”

[अतारांकित प्र न संख्या 23 (क. 1919) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में संचालित बाल श्रमिक विप्रीश भालाओं में अध्ययनरत बच्चों की विकासखण्डवार स्कूल एवं कक्षावार जानकारी

क्र.	विप्रीश स्कूल का नाम	विकासखण्ड	कक्षावार दर्ज बच्चों की संख्या					कुल दर्ज संख्या
			1ली	2री	3री	4थी	5वीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बोईरदादर	रायगढ़	31	09	06	—	—	46
2.	खरसिया	खरसिया	06	08	08	17	11	50
3.	लैलूंगा	लैलूंगा	09	14	08	12	07	50
4.	गोहड़ीडीपा राजपुर	लैलूंगा	06	10	13	15	06	50
5.	कोड़ातराई	पुसौर	11	11	11	06	11	50
6.	गुडेली	सारंगढ़	01	02	02	27	18	50
7.	तमनार	तमनार	—	03	20	25	02	50
8.	घरघोड़ा	घरघोड़ा	01	02	08	17	02	30
9.	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	07	10	16	09	—	42
10.	सारंगढ़	सारंगढ़	—	—	—	06	06	12
11.	बरमकेला	बरमकेला	14	08	12	12	04	50
12.	चरखापारा	धरमजयगढ़	08	15	11	08	08	50
13.	गोवर्धनपुर	रायगढ़	19	11	09	08	03	50
14.	ननसिया	रायगढ़	10	18	06	09	07	50
कुल			123	121	130	171	85	630

परिशिष्ट "पच्चीस "

[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क. 1920) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ "

I कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर द्वारा नलकूप खनन कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची

क्र.	ठेकेदार का नाम एवं पता	श्रेणी
1	2	3
1	मेसर्स महालक्ष्मी बोरवेल्स, बस स्टेण्ड के पास, पत्थलगांव, जिला जशपुर	S-II
2	मेसर्स जेठा ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्शन, गोल्डन पार्क, विधानसभा रोड खम्हारडीह, रायपुर	S-I
3	मेसर्स रेन्बो ड्रिलर्स, अनिल भवन, केदारपुर, अंबिकापुर	S-II
4	मेसर्स लक्ष्मी बोरवेल्स, देवी गंज रोड, अंबिकापुर	S-II
5	मेसर्स कादम्बरी, ट्यूबवेल्स, वंदना मोटर्स के पास, रिंग रोड, बिलासपुर	S-II
6	श्री बजरंग अग्रवाल, रामनिवास टाकीज चौक, रायगढ़	S-II
7	श्री ओ.पी. जायसवाल, अनुपमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रतनपुर	A-I
8	मेसर्स गोयल बोरवेल्स, मेन रोड विश्रामपुर	S-II
9	श्री विध्नेश्वर रॉक ड्रिलर्स, एल.आई.जी.-8, एम.पी. नगर कोरबा	S-II
10	मेसर्स जे.पी. अग्रवाल, केवड़ा बाड़ी रोड, रायगढ़	S-II
11	मेसर्स विजय बोरवेल्स, लक्ष्मी टॉकीज के बाज, बिलासपुर	S-II
12	मेसर्स श्री सत्य साईबाबा बोरवेल्स, डॉ. अंबेडकर चौक के पास, जवाहर नगर, अंबिकापुर	S-II
13	श्री जुल्फ़ीकार अहमद, पिता स्व. इफतखार अहमद, ए. के. रोड, पेंड्रारोड, गौरैला	A-I
14	मेसर्स शिवम बोरवेल्स, सक्ती	S-I
15	मेसर्स महामाया फास्ट ड्रिलिंग, मेन रोड सक्ती	S-I
16	मेसर्स सुप्रीम रॉक ड्रिलर्स, 27 एबीसर, कालोनी, सकरी (टी.के.) जिला सालेम (तमिलनाडु)	S-II
17	मेसर्स जयदुर्गा बोरवेल, प्रतापपुर रोड, खड़गंवाकला, जिला सरगुजा	S-I
18	मेसर्स शिवशक्ति एजेन्सीज एवं बोरवेल्स, मस्जिद के सामने, जयस्तंभ चौक अंबिकापुर	S-I
19	मेसर्स सलूजा बोरवेल्स, शॉप नं.9 गवर्हमेन्ट स्कूल कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक बिलासपुर	S-II
20	श्री पंकज अग्रवाल पिता स्व. श्री किशन लाल अग्रवाल, मेनरोड, सक्ती	A-II
21	मेसर्स छत्तीसगढ़ बिल्डकॉम, 50 अग्रसेन मार्ग, कोरबा	S-II
22	मेसर्स आदिती बोरवेल्स, अग्रसेन चौक, कोरबा	S-II
23	मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल, गुरुद्वारा रोड, विश्रामपुर, जिला सरगुजा	A-II

क्र.	ठेकेदार का नाम एवं पता	श्रेणी
1	2	3
24	मेसर्स पवन बोरवेल्स सर्विस, नेहरु पार्क रोड, श्यामजी मार्ग, सूरजपुर जिला सरगुजा	S-II
25	मेसर्स दनोदिया, बोरवेल्स, मेन रोड, विश्रामपुर	S-I
26	श्री कृष्णा कंपनी, देवनंदन रोड, सीपत रोड, बिलासपुर	S-II
27	मेसर्स राजेश अग्रवाल, मेन हॉस्पिटल के सामने, रायगढ़	S-II
28	मेसर्स रीना बोरवेल्स, सिविल लाईन्स, बंगाली पारा, रायगढ़	S-II
29	श्री पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल, मु. पो. बिल्हा	A-II
30	मेसर्स निराकार पटेल, मु. पो. धनागार, जिला रायगढ़	S-I
31	मेसर्स उत्तम सिंह सिसोदिया, रघुकुल भवन, मनेन्द्रगढ़ रोड, अंबिकापुर	A-II
32	मेसर्स घनश्याम अग्रवाल, स्टेशन रोड, खरसिया	A-II
33	मेसर्स लक्ष्मी बोरवेल्स, मेनरोड जांजगीर	S-II
34	मेसर्स भवानी बोरवेल्स, शंकर राईस के सामने, मेन रोड, जांजगीर	S-II
35	मेसर्स कान्हा बोरवेल्स, सेल टेक्स ऑफिस के पीछे, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर	S-I
36	मेसर्स विशेष कंस्ट्रक्शन, दानीपारा, रायगढ़	A-I
37	मेसर्स जयलक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, केतका रोड, सूरजपुर, जिला सरगुजा	S-II
38	मेसर्स सुभाष बोरवेल्स, मेनरोड सरसीवा	S-I
39	मेसर्स मुहम्मद इदरिश, इटारसी (म.प्र.)	S-I
40	मेसर्स रेन्बो डिलर्स, अंबिकापुर	S-II
41	मेसर्स रेन्बो एजेंसी, अंबिकापुर	S-I
42	मेसर्स बालाजी बोरवेल्स, प्रो. पी. राजगोपालन, व्हाया रामपुर आईटीआई, 829/25, कोरबा	S-I
43	मे. संदीप कुमार सिंह, बी. डी. महंत, उपनगर, जांजगीर	A-I
44	मेसर्स मारुति बोरवेल्स, प्रो. श्रीमती सरोज अग्रवाल, कटघोरा	S-II
45	मेसर्स आर. के. ड्रिलिंग सर्विस, खेड़ा पेट्रोल पंप के पास, इटारसी	S-I

II कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा नलकूप खनन कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची

क्र.	ठेकेदार का नाम एवं पता	श्रेणी
1	2	3
1	मेसर्स स्वामी सागर बोरवेल्स, 15 जल विहार कालोनी, रायपुर	S-III
2	मेसर्स श्री श्याम बोरवेल्स, गंजपारा, दुर्ग	S-III
3	मेसर्स तारन तरण ट्यूबवेल्स, लखौली नाका चौक, राजनांदगांव	S-III
4	मेसर्स पाशवनाथ ड्रिलर्स, यामहा शो रूम के पास एलआईसी रोड रायपुर	S-III
5	मेसर्स हाइड्रो ड्रिल्स एण्ड कंपनी तेलघानी नाका, रायपुर	S-III
6	मेसर्स आर. कपूर, 27-वर्धमान कालोनी जगदलपुर	S-III
7	मेसर्स शंखेश्वर ड्रिलर्स, न्यू बस स्टैण्ड के पास जीवन बीमा मार्ग, रायपुर	S-III
8	मेसर्स गणेश बोरवेल्स, प्रो. श्री सम्पत अग्रवाल, मेन रोड बस्तर, जिला महासमुंद	S-III
9	मेसर्स यूनाईटेड ड्रिलर्स, स्टेडियम मार्केट अंबिकापुर	S-III
10	श्री शिव बोरवेल्स, प्रो. श्री पवन सिंघल भारतीय स्टेट बैंक के पास गंजपारा दुर्ग	S-III
11	मेसर्स आर. पी. भोजानवाला पोस्ट झुमरीतलैया, जिला कोडरमा झारखण्ड	S-III
12	मेसर्स सतपुड़ा ड्रिलर्स, 38-वल्लभ नगर पचपेड़ी चौक, रायपुर	S-III
13	मेसर्स दुबे ड्रिलर्स, फाफाडीह चौक के पास, रायपुर	S-IV
14	मेसर्स धमतरी बोरवेल्स, गायत्री मंदिर के पास रिसाई पारा धमतरी	S-IV
15	मेसर्स जैन ट्यूबवेल्स, 22-बी, रविनगर जीवन बीमा मार्ग, रायपुर	S-IV
16	मेसर्स आशीष न्यूमॉटेक ड्रिलर्स, 369-समता कालोनी, रायपुर	S-IV
17	मेसर्स टेक्ना ड्रिलर्स, 38-वल्लभ नगर पचपेड़ी चौक, रायपुर	S-V
18	मेसर्स बंसल बोरवेल्स, अग्रसेन मार्ग पजाब आयल मिल गली, रायपुर	S-V

प्रपत्र "ब"

नलकूप खनन के पंजीयन के ठेकेदार के लिए अनिवार्य शर्तों की जानकारी

1. नलकूप खनन एजेंसी को ड्रिलिंग रिग मशीन की आर.सी. बुक एवं राज्य में आर.टी.ओ. कार्यालय में पंजीकृत उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करना होगा एवं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होता है।
2. नलकूप एजेंसी को ड्रिलिंग मशीन का सत्यापन विभाग के कार्यपालन अभियंता, सिविल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल खंड की समिति से कराना होता है।
3. नलकूप खनन एजेंसी को आयकर पेन नंबर की प्रति संलग्न करना होता है।
4. नलकूप खनन एजेंसी को नलकूप खनन कार्य के लिए श्रेणी एस-1 पंजीयन के लिए रु. 01.00 लाख का वैध शोध क्षमता प्रमाण पत्र या रु. 50,000/- का एफ.डी.आर., श्रेणी एस-2 पंजीयन के लिए रु. 02.00 लाख का वैध शोध क्षमता प्रमाण पत्र या रु. 1,00,000/- का एफ.डी.आर. जमा करना होता है। श्रेणी एस-3 पंजीयन के लिए रु. 6.00 लाख का वैध शोध क्षमता प्रमाण पत्र या रु. 3.00 का एफ. डी.आर., श्रेणी एस-4 पंजीयन के लिए रु. 10.00 लाख का शोध क्षमता प्रमाण पत्र या रु. 5.00 का एफ.डी.आर., श्रेणी एस-5 पंजीयन के लिए रु. 20.00 लाख का वैध राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र या रु. 10.00 लाख का एफ.डी.आर. जमा करना होता है।
5. नलकूप खनन हेतु एजेंसी श्रेणी-एस-1, एस-2 के लिए को रु. 4500/- एवं श्रेणी एस-3, एस-4 एवं एस-5 के लिए रु. 7500/- पंजीयन शुल्क जमा करना होता है।
6. पंजीयन की वैधता पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष तक रहती है।
7. पंजीयन के पश्चात यह पाया गया कि नैतिक पतन या अपराध में कारावास हुई है तो पंजीयन रद्द कर दिया जाता है।

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क. 1986) की जानकारी]

1	2	3	4	5	6	7	8
विभागाध्यक्ष के नाम	ग्राम का नाम	व्यक्ति/फर्म/समूह का नाम	सहजीपालन हेतु लीज पर दिये गये तालाब/जलाशय का नाम	रकबा (हेक्टर में)	लीज की अवधि वर्ष	लीज राशि रु.	
(अ) मछुआ सहकारी समिति :-							
1	पामगढ	कोसा	मनहरण अध्यक्ष अनंत मछुआ सहकारी समिति छडौलिया	छिडौलिया सिचाई जलाशय	60.00	09-02-09 से 08-02-14 तक	23400.00
2	-	कोनारगढ	धनीराम अध्यक्ष आदर्श मछुआ सहकारी समिति कोनारगढ	खईया तालाब	13.800	01-03-06 से 28-02-11 तक	23100.00
3	-	कोसा	चिताराम केवट अध्यक्ष महामाया मछुआ सहकारी समिति कोसा	पुरेन्हा जलाशय	11.313	30-07-10 से 30-06-17 तक	3740.00
4	-	खरौद	राजकुमार अध्यक्ष महामाया मछुआ सहकारी समिति खरौद	मनकादाई,	2.124		
				डगनियां	1.627	10-10-07 से 30-06-12 तक	24627.00
				घाडालाल	1.362		
				राम सागर	3.169		
				सागर	4.391		
				पण्डा	0.709		
				गारहा	1.566		
				हरनाथबध	1.372		
				अमहा	2.387		
				छोटे जोरवा	0.556	14-02-11 से 7 वर्ष	29673.00
				गडवा	2.917		
5	-	खरौद	श्री तुलसीराम आदित्य लक्ष्मणेश्वर मछुआ सहकारी समिति खरौद	खईया	0.480	13-07-06 से 30-06-11 तक	2310.00
				रानीसागर	1.755		
				गारहा	1.608		
				बैरागनी	0.545		
				घोडाधर	1.554		
				कपाट	1.295		
				बड़े जोरवा	0.596	14-02-11 से 7 वर्ष	17067.00
				बाहिमरा	1.380		
				रीवा	2.085		
6	नयागढ	शिवरीनारायण	अध्यक्ष चंदराम मछुआ सहकारी समिति शिवरीनारायण	बटडआ	0.849		
				लडमा	0.486	13-10-09 से 5 वर्ष	1590.00
				25 तालाब	119.416	-	130072.00
	योग	-	समिति संख्या 06				

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1986 विधान सभा क्षेत्र का नाम-पामगढ़

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	व्यक्ति/फर्म/समूह का नाम	महलीपालन हेतु लीज पर दिये गये तालाब/जलाशय का नाम	एकड़ (हेक्टर में)	लीज की अवधि वर्ष	लीज राशि रु.	
1	2	3	4	5	6	7	
(ब) मछुआ समूह :-							
1	पामगढ़	मुईगांव	सुमेन्द्र सुयवंशी अन्य 3	मुईगांव सिंचाई जलाशय	13.00	30-07-10 से 7 वर्ष	3491.00
2	-	झिलमिली (भैंसों)	रूप चंद सुखरु अन्य 3	बंधवा	0.938	28-07-07 से 5 वर्ष	5600.00
3	-	भैंसों	छत्तुराम मयाराम अन्य 2	बादियाही	0.930		
4	-	खोखरी	अमृतलाल जैतराम केवट अन्य 3	तुरकीन डबरी	0.587	20-08-08 से 5 वर्ष	4000.00
5	-	रीवापार	शिवराज सिंह अन्य 2	नैईया	1.416		
6	-	रसौटा	रामनाथ अन्य 2	खुही डबरी	0.156	24-10-08 से 5 वर्ष	3814.00
7	-	डोंगाकोहरौद	सुखराम अन्य 1	दर्री, जमहा	1.311	26-09-08 से 5 वर्ष	1470.00
8	-	-	अर्जुल धीवर अन्य 1	पुंडेरी	1.470	04-10-08 से 5 वर्ष	7000.00
9	-	-	हरिप्रसाद डीमर अन्य 2	पुरेन्हा	1.179		
10	-	-	डमरु डीमर अन्य 7	टंडी	0.551	25-06-09 से 5 वर्ष	1980.00
11	-	-	राम अवतार अन्य 7	बड़ें डुमारिया	0.914		
12	-	भैंसों	संतोष केवट अन्य 2	छोटे डुमारिया	0.781	30-06-09 से 5 वर्ष	3880.00
13	-	-	केवराबाई अन्य 9	जौखिया	1.271	20-07-09 से 5 वर्ष	4200.00
14	-	पचरी	देव प्रसाद सतनामी अन्य 2	धोबनी	0.549	13-08-09 से 5 वर्ष	12000.00
15	-	भैंसों	मोतीलाल साहू अन्य 3	डोंगिया	4.676	13-08-09 से 5 वर्ष	8400.00
16	-	सेमरिया	रुगन केवट अन्य 3	केरा	4.614	10-09-09 से 5 वर्ष	8600.00
17	-	चण्डीपारा	पतिराम अन्य 9	अम्हा	1.943	10-09-09 से 5 वर्ष	15200.00
18	-	ससहा	दिनशर अध्यक्ष मछुआ कल्याण समिति अन्य 9	बंधवा	5.546	10-09-09 से 5 वर्ष	4000.00
				तलवा	3.189	10-09-09 से 5 वर्ष	2500.00
				रामसागर	1.668	07-11-09 से 5 वर्ष	2800.00
				पचरिहा	1.357	12-09-06 से 5 वर्ष	5300.00
				डोंगिया	0.571	05-10-07 से 5 वर्ष	8000.00
				बरही	0.399		
				मगरहा	1.048		
				धनबाड़ा	5.336		
				गाव	2.232		
				बालासागर	2.493		
				पुरेन्हा	0.898		

19	-	पुनर्गाव	बिहारी सुर्यवंशी अन्य 2	वधवा	3.270	07-11-09 से 5 वर्ष	9240.00
20	-	भवतरा	शिव कुमार मटेल अन्य 3	डोगिया	0.955	07-11-09 से 5 वर्ष	2310.00
21	-	-	हरि कुमार अन्य 1	पैठु	1.967	07-11-09 से 5 वर्ष	1130.00
22	-	-	लक्ष्मीनारायण अन्य 1	सुखा डबरी दर्रा	1.129	07-11-09 से 5 वर्ष	850.00
23	-	-	कार्तिक राम कश्यप अन्य 2	राम सागर	1.719	07-11-09 से 5 वर्ष	1720.00
24	-	-	शांतनु अन्य 1	जुना तालाब	1.316	07-11-09 से 5 वर्ष	12320.00
25	-	भुईगांव	गणेश कॅवट अन्य 10	बर तालाब	5.166	18-08-10 से 7 वर्ष	16080.00
26	-	खरखोद	रमेश कॅवट अन्य 2	नया तालाब	3.634	18-08-10 से 7 वर्ष	3634.00
27	-	मुडपार (चि)	सीता बाई कॅवट अन्य 3	राम सागर	0.567	18-08-10 से 7 वर्ष	12661.00
28	-	पामगढ	पुनीराम यादव अन्य 2	जगन तालाब	1.833	18-08-10 से 7 वर्ष	4004.00
29	-	मेकरी	दुखीन बाई कॅवट अन्य 2	मरघटिया	0.793	10-10-10 से 7 वर्ष	5000.00
30	-	जोगाकोहरौद	गोपीनाथ धीवर अन्य 6	परी	3.751	28-08-10 से 7 वर्ष	7200.00
31	नवागढ	सलखन	नीराबाई अन्य 5	चण्डी तालाब	3.076	20-07-09 से 5 वर्ष	6600.00
32	-	-	सतरुराम अन्य 2	रतनवा	1.437	20-07-09 से 5 वर्ष	1500.00
33	-	कचंदा	मालिकराम अन्य 3	सागर	1.594	05-11-09 से 5 वर्ष	4620.00
34	-	-	फूलसाय अन्य 2	अमलिहा	3.424	09-11-09 से 5 वर्ष	1848.00
35	-	-	मनोहर यादव अन्य 3	चमरी	0.987	09-11-09 से 5 वर्ष	4002.00
36	-	-	अमरु अन्य 3	पनखल्ली	0.967		
37	-	-	भोलाराम अन्य 3	कुलहडिया	1.878	09-11-09 से 5 वर्ष	1848.00
38	-	-	जय कुमार सुर्यवंशी अन्य 3	टारबंध	1.066	18-11-09 से 5 वर्ष	1600.00
39	-	सलखन	पुनीराम सतनामी अन्य 5	नया तालाब	2.124	18-11-09 से 5 वर्ष	3080.00
40	-	कुरियारी	भुनेश्वर प्रसाद कश्यप अन्य 3	नया तालाब	2.468	20-10-09 से 5 वर्ष	10500.00
41	-	-	तेरस राम यादव अन्य 2	डोगिया तालाब	2.223	23-05-06 से 5 वर्ष	12500.00
42	-	-	समत कुमार कश्यप अन्य 2	पैठु तालाब	1.645	09-07-07 से 5 वर्ष	6400.00
	योग		42 समूह	बंधवा	1.104	19-07-06 से 5 वर्ष	4700.00
				52 तालाब	112.659		2,36,102.00

13	कोसला	समूह अन्य 10 भजराम अध्यक्ष विकास मधुआ स्व सहायता समूह अन्य 9	बंधवा	8.530	04-08-06 से 5 वर्ष	15000.00
14	-	नमथी दाउ अध्यक्ष महाभाया स्व सहायता समूह अन्य 10	मानसरोवर	8.090	04-08-06 से 5 वर्ष	7000.00
15	चण्डीपारा	अजली खरे अध्यक्ष गरिबीन महिला स्व सहायता समूह चण्डीपारा	खड्या	1.983	03-01-07 से 5 वर्ष	10000.00
16	भदरा	गनपत अध्यक्ष मधुआ स्व सहायता समूह अन्य 10	सरकारी	1.769	01-07-08 से 5 वर्ष	4000.00
17	सेमरिया	लछनबाई यादव अध्यक्ष गायत्री स्व सहायता समूह अन्य 9	बेल्हा	0.909	01-07-08 से 5 वर्ष	2520.00
18	पनगाव	अमरौतिन अध्यक्ष कसर स्व सहायता समूह अन्य 11	सक्ती	1.286	20-08-08 से 5 वर्ष	4400.00
19	खोखरी	कमलाबाई साहू अध्यक्ष स्व सहायता समूह अन्य 9	डोंगिया	1.424	24-10-08 से 5 वर्ष	5328.00
20	खरोद	श्रीमती पीतरबाई यादव मां कंकालीन अध्यक्ष स्व सहायता समूह अन्य 9	डंगरा	1.608		
			चौबे	0.540		
			गडियारी	1.455	01-07-06 से 5 वर्ष	14333.00
			चमरी	0.677		
			कहरी	1.032		
			बमरी	1.536		
21	नयागड	अनिता लहरे बिस्वा स्व सहायता समूह अन्य 9	सतवन्तिन	1.765	23-09-09 से 5 वर्ष	1540.00
22	सलखन	निराबाई अध्यक्ष स्व सहायता समूह अन्य 9	पनझरिया	2.335	20-10-09 से 5 वर्ष	4900.00
	योग	22 समूह	36 तालाब	137.259	-	3,19,887.00

विधान सभा प्रशन क्रमांक 1986 विधान सभा क्षेत्र का नाम-पामगढ

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	व्यक्ति / फर्म / समूह का नाम	मछलीपालन हेतु लीज पर दिये गये तालाब / जलाशय का नाम	रकबा (हेक्टर में)	लीज की अवधि वर्ष	लीज राशि रु	
1	2	3	4	5	6	7	8
(द)व्यक्तिगत :-							
1	पामगढ	महवी	इतथारी सुर्यवंशी	सूरज कुण्ड	0.960	29-06-01 से 10 वर्ष	1000.00
2	-	मुडपार (शु)	आनंदराम यादव	राम सागर	1.024	29-06-01 से 10 वर्ष	5000.00
3	-	पकारिया	रोहित साहू	मटखनवा	0.640	28-03-01 से 10 वर्ष	850.00
4	-	-	अमृतलाल सुर्यवंशी	शोभाबध	0.425	28-03-01 से 10 वर्ष	700.00
5	-	भैसाँ	कृष्ण कुमार सुर्यवंशी	भगोलवा	0.842	12-11-01 से 10 वर्ष	2000.00
6	-	डुडगा	सीता बाई सुर्यवंशी	नया तालाब	0.995	07-08-06 से 5 वर्ष	1000.00
7	-	चण्डीपारा	राम प्रसाद	खलबोरा	0.280	12-09-06 से 5 वर्ष	1000.00
8	-	खाखरी	राम कुमार सुर्यवंशी	बेली	1.076	24-10-08 से 5 वर्ष	1076.00
9	-	पनगाव	धनीराम सुर्यवंशी	डोंगिया	0.401	07-11-09 से 5 वर्ष	662.00
10	-	खरखोद	फिरतीनबाई साहू	जमहा	6.429	18-08-10 से 7 वर्ष	720.00
11	-	-	सुखीयाबाई	सुखरी	0.898	18-08-10 से 7 वर्ष	1274.00
12	-	-	अमारिका बाई सुर्यवंशी	छिंदया	1.032	18-08-10 से 7 वर्ष	8400.00
13	-	-	नारायण कंठ	इन्द्रनागर	1.210	18-08-10 से 7 वर्ष	1210.00
14	-	-	रोहित यादव	चित्तार	0.494	18-08-10 से 7 वर्ष	4060.00
15	-	-	शंकर कंठ	नवटा	0.672	18-08-10 से 7 वर्ष	784.00
16	-	पामगढ	कलनबाई सुर्यवंशी	कपूर	0.721	08-10-10 से 7 वर्ष	7160.00
17	-	-	हिगा प्रसाद सतनामी	फूलवारी	0.405	08-10-10 से 7 वर्ष	5390.00
18	-	मेकरी	छन्नाल साहू	डोंगिया	0.725	10-10-10 से 7 वर्ष	4000.00
19	-	-	खिखराम	मोहा खईया	0.470	10-10-10 से 7 वर्ष	2500.00
20	नवागढ	-	सोनाराम करयप	कुडिया	0.668	17-07-06 से 5 वर्ष	2300.00
21	-	कुरियारी	रामनाथ करयप	धाबनी	0.547	17-07-06 से 5 वर्ष	2300.00
22	-	सलखन	परदेशीलाल करयप	फूलवारी	0.405	15-09-08 से 5 वर्ष	1500.00
23	-	खिलोरा	सुभाष करयप	खईया	0.433	18-11-09 से 5 वर्ष	616.00
	योग	-	23 व्यक्ति	23 तालाब	15.772	-	54502.00
1	समिति	6	25	119.416	-	-	1,30,072.00
2	मधुआ समूह	42	52	112.159	-	-	2,36,102.00
3	स्व सहायता समूह	22	36	137.259	-	-	3,19,887.00
4	व्यक्तिगत	23	23	15.772	-	-	54,502.00
	महायोग :-	93	136	384.606	-	-	7,40,563.00